

Jan-2022 ISSUE-IV(I), VOLUME-IX

Published Special issue
With ISSN 2394-8426 International Impact Factor 6.222
Peer Reviewed Journal



Published On Date 31.01.2022

Issue Online Available At :<http://gurukuljournal.com/>

Organized &
Published By

Chief Editor,
Gurukul International Multidisciplinary Research Journal
Mo. +919273759904 Email: chiefeditor@gurukuljournal.com
Website : <http://gurukuljournal.com/>



INDEX

Paper No.	Title	Author Name	Page No.
1	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन	तामेश कुमार वर्मा & डॉ. कमल नारायण गजपाल	3-9
2	A Study Of Defence Mechanism Among The Students Of Class 11 th In Raipur City	Dr. Savita Solomon	10-13
3	शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की व्यावसायिक आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन	भारती भार्गव & डॉ. सविता सालोमन	14-20
4	मध्याह्न भोजन योजना से विद्यालयों में प्राथमिक कक्षा के छात्र-छात्राओं की प्रतिवर्ष शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित प्रश्न का अध्ययन	महेश कुमार नायक & डॉ. बेनु शुक्ला	21-29
5	नई राष्ट्रीय जल नीति - एक जरुरत	Asstt.Prof. Firoj Pyara Sahala	30-32
6	शिवधर्म चळवळ आणि धार्मिक सण उत्सवातील परिवर्तन	प्रा. डॉ. राजकुमार बिरादार	33-36
7	Review of e-HRM research and its implications	Dr. Kapil Raut	37-39
8	माध्यमिक विद्यालयांमध्ये गणित अध्यापनात शिक्षकाची भूमिका	पंकज वामनराव मर्ते	40-42



मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

1. तामेश कुमार वर्मा, एम.एड. (प्रशिक्षार्थी), प्रगति महाविद्यालय, चौबे कालोनी रायपुर (छ.ग.)
2. डॉ. कमल नारायण गजपाल, विभागाध्यक्ष (शिक्षा संकाय), प्रगति महाविद्यालय, चौबे कालानी, रायपुर (छ.ग.)

भूमिका

“शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य उन आदतों को छाँटना और सिखाना है, जो बालक के लिए सारे जीवन सबसे अधिक लाभप्रद रहे शिक्षा सदाचार के लिए है और आदतें ही आचरण का निर्माण करती है।”

— विलियम जेम्स

वैदिक काल से ही शिक्षा को ही प्रकाश माना गया है जो कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए विद्वानों ने शिक्षा को तीसरा नेत्र कहा है। शिक्षा वस्तुतः वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य बेहतर मनुष्य बनता है और अपनी इस दुनियां को और बेहतर बनाने का कौशल प्राप्त करता है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा से व्यक्ति में आत्मनिर्भरता, आत्मिक ऊर्जा और अपने अस्तित्व का एहसास होता है। शिक्षा के इसी महत्व को स्वीकार कर पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। पर आज भी भारत की स्थिति भयावह है।

यू.एन.डी.पी. की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 3 करोड़ 50 लाख बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं। जिनमें दो तिहाई लड़कियां हैं। विश्व में जितने निरक्षर हैं उनके आधे भारत में हैं। (प्रकाश, आनन्द, 2011)

शासन ने ‘शिक्षा का अधिकार’ कानून बनाने से पूर्व भी अनेक प्रयास और प्रयोग किये हैं, जिससे देश में शिक्षा की स्थिति को सुधारा जा सके। निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रौढ़ शिक्षा/क्षेत्रीय विकास आदि विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के परिणाम दर्शाने लगे कि साक्षरता बढ़ती तो है, पर प्राथमिक शिक्षा ठीक न होने से निरक्षर प्रौढ़ आते जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चे नहीं आ रहे थे। कारणों में मुख्य रूप से गरीबी, मजदूरी (दूसरे कामों में लगना), विद्यालयों का वातावरण ठीक न होना देखा गया है।

आजादी के बाद से ही भारत पूर्ण साक्षरता के लिए प्रयासरत रहा है तथा शिक्षा को अनिवार्य रूप से सुलभ और निःशुल्क बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों में स्थान दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की धारा 45 में राज्य को निर्देशित किया गया है कि 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाने का दायित्व राज्य का होगा।

86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करते हुए संविधान में एक नया अनुच्छेद 21(ए) जोड़ गया।

मध्यान्ह भोजन योजना

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1995 से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की योजना इस उद्देश्य को सामने देखकर बनाई कि छात्रों को प्रोटीनयुक्त भोजन विद्यालय में मिलेगा तो पालक स्वयं छात्रों को विद्यालय भेजने तथा विद्यालय में आने वाले छात्रों को शिक्षा, भोजन तथा स्वास्थ्य की निश्चितता की जा सकती है। 17 वर्षों से संचालित कार्यक्रम के बावजूद अनेकों रिपोर्टों से यह ज्ञात होता है कि उपस्थिति, पढ़ाई का स्तर आदि में बड़ा परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है।

मिड-डे-मील योजना का आरम्भ

इस योजना का आरम्भ 25 अगस्त, 1995 से हुआ था। शुरुआत में 3 किलोग्राम गेहूँ-चावल दिये जाते थे लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक



1 सितम्बर, 2004 से पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराये जाने की योजना आरम्भ कर दी गयी। योजना की सफलता की दृष्टि रखते हुए अक्टूबर, 2007 से इसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अप्रैल, 2008 से शेष ब्लॉकों एवं नगर क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तारित कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–2008 में प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 1.83 करोड़ बच्चे तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 31 लाख बच्चे आच्छादित थे।

मिड-डे-मील की छत्तीसगढ़ में स्थिति

वर्तमान में इस योजना से प्रदेश के 1,16,107 प्राथमिक विद्यालयों एवं 53,499 उच्च प्राथमिक विद्यालय आच्छादित हैं। इन विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत 1,42,55,482 विद्यार्थी एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 60,87,620 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत तक पहुँचने में विफल रहा है। विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ 15वें स्थान पर है। रिपोर्ट एक के अनुसार छत्तीसगढ़ में 66 फीसदी विद्यार्थियों को ही मिड-डे-मील उपलब्ध हो पाता है। जबकि सन् 2012–13 में मिड-डे-मील उपलब्ध करवाने का राष्ट्रीय औसत 70 फीसदी रहा है। विद्यालयों का निरीक्षण करने में भी राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ 21वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में कुछ जिलों में मिड-डे-मील की व्यवस्था बहुत खराब है। राज्य के 14 जिले में मिड-डे-मील उपलब्ध करवाने को लेकर अधिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। लेकिन इन समस्याओं की स्थिति पर ध्यान देकर इन्हें सुधारा जा सकता है। जैसे—

- मिड-डे-मील को सुचारू रूप से संचालित किया जाये।
- अधिकारियों को निरन्तर सम्पर्क बनाये रखना चाहिए।
- मिड-डे-मील कार्यक्रम को मॉनिटरिंग व्यवस्था करके रखा जाये।
- मिड-डे-मील में खाना उपलब्ध होने से बच्चे-बच्चे का पढ़ाई की तरफ अधिक ध्यान जायेगा।
- पौष्टिक पोषाहार से बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जिससे पढ़ाई में मन लगेगा।
- गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त होगी।
- विद्यालयों में नामांकन बढ़ेगा।
- पौष्टिक पोषाहार से उनको स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
- मिड-डे-मील कार्यक्रम में खाना उपलब्ध हाने से बच्चों का पढ़ाई की तरफ ध्यान जायेगा।

अध्ययन का शैक्षिक महत्व

देश में मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा के सार्वभौमिकरण की पूर्ति के साथ-साथ अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विगत लगभग 20 वर्षों से संचालित है। शोध के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जायेगा कि क्या इस योजना की आवश्यकता देश या राज्य के सभी भौगोलिक स्थिति में समान है? यदि शोध में यह पता चलता है कि इसकी आवश्यकता सभी जगह समान नहीं है तो ऐसी स्थिति में सरकार को सुझाव दिया जायेगा कि इसे आवश्यकता के आधार पर लागू किया जाये जिससे इस योजना को और प्रभावी बनाया जा सके।

भारत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए भारतीय संविधान की धारा 45 के अनुसार संसार के अन्य देशों के समान भारत ने भी बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है। सन् 1950 में संविधान सभा ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत घोषित किया। इसके अनुसार राज्य इस संविधान के कार्यान्वित किये जाने



के समय से दस वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए जब तक चौदह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पद्धति पर आधारित होगी। यह शिक्षा नि:शुल्क एवं अनिवार्य होगी। भारतीय संविधान में घोषणा होने के बाद सभी राज्यों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा का आधुनिक महत्व है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुविधायुक्त एवं अनिवार्य बनाने के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं व अभियानों को लागू किया जाता है। जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से नि:शुल्क शिक्षा दिया जा सके।

बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु शासन द्वारा सर्व शिक्षा अभियान को जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत प्राथमिक स्तर के बच्चों को ध्यान रखते हुए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की गई है। जिसका लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के गरीब बालकों को मिल सके और विद्यालयों में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या एवं ठहराव में वृद्धि हो। वर्तमान समय में मध्यान्ह भोजन योजना से सभी वर्गों के बच्चों को लाभ मिल रहा है। अतः इस प्रकार अध्ययन के शैक्षिक महत्व को स्पष्ट करता है।

रायपुर जिले में मिड-डे-मील कार्यक्रम की व्यवस्था में शिक्षकों को भोजन निर्माण का दायित्व निर्वाह करना होता है। जिसमें शिक्षकों को शिक्षण के अनेक अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए शोधकर्ता ने रायपुर जिले की मिड-डे-मील योजना के प्रति शिक्षकों व विद्यार्थियों दृष्टिकोण जानने के लिए इस समस्या का चयन किया है।

सम्बन्धित साहित्य का अर्थ व परिभाषाएँ

1. **किलोस्कर, एल.डी. (2016)** ने केलिफोर्निया में एक अध्ययन किया जिसमें प्राथमिक शिक्षा के स्तर में बच्चों के विकास एवं पोषण को केन्द्र बिन्दु बनाया गया। किलोस्कर ने बताया कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को संतुलित भोजन मिलने से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से बढ़ता है।
2. **राजावत, पी.एस. (2016)** ने अपने अपने अध्ययन में बताया कि मध्याह्न भोजन योजना से विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ी है। इस योजना के पीछे सरकार का यह उद्देश्य था कि बच्चों को विद्यालय में नियमित रूप से जोड़ा जा सके उनका ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। मध्याह्न भोजन योजना में भोजन मिलने से विद्यार्थी पूरे समय विद्यालय में रहते हैं और उनकी दैनिक उपस्थिति में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
3. **सानिया शैख, (2015)** ने अजमेर विश्वविद्यालय में अपने शोध निष्कर्ष में लिखा कि ऑंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की संख्या का मुख्य कारण अच्छा एवं पोष्टीक भोजन है। शैख ने बताया कि जिन केन्द्रों पर भोजन पर्याप्त मात्रा या अच्छा नहीं मिलता है वहां बच्चों की संख्या कम है। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों का ऑंगनबाड़ी केन्द्र में आने का मुख्य कारण भोजन ही है।
4. **रिजवान, मोहम्मद (2014)** के द्वारा "मिड डे मील वित्तीय तथा संगठन के आधार पर दो राज्यों में तुलनात्मक अध्ययन" के नाम से शोध किया जिसमें बताया कि पहले की तुलना में इस प्रोग्राम में उनके सुधार हुए हैं। परन्तु फिर भी बहुत कुछ करना शेष है। अब का भोजन ज्यादा आकर्षित है। पहले के दलिया प्रोग्राम की अपेक्षा।

समस्या का कथन

"मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन"

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन के उद्देश्य के अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा ली गयी समस्या :-

"मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन"



शोधकर्ता ने निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्माण किया है :-

1. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की प्रतिवर्ष दर्ज संख्या में होने वाली वृद्धि का अध्ययन करना।
2. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की प्रति वर्ष शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना

प्रस्तुत समस्या के अध्ययन हेतु शोधकर्ता ने निम्नलिखित परिकल्पनाएँ निर्मित की है:-

1. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की प्रतिवर्ष दर्ज संख्या में होने वाली वृद्धि में सार्थक अंतर पाया जाएगा।
2. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की प्रति वर्ष शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर पाया जाएगा।

अध्ययन की परिसीमा

1. प्रस्तुत अध्ययन हेतु चयनित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के 5-5 प्राथमिक विद्यालयों में से कक्षा 5वीं कक्षा में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है।
2. प्रस्तुत अध्ययन हेतु शहरी क्षेत्र से कक्षा 5वीं के 50 और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में कक्षा 5वीं के 50 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है।
3. अध्ययन हेतु ग्रामीण क्षेत्र के कुल 5 और शहरी क्षेत्र के 5 प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 100 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या

प्रस्तुत शोध अध्ययन में जनसंख्या से तात्पर्य रायपुर तहसील के ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को शामिल किया गया है।

न्यादर्श

प्रस्तुत लघुशोध के उद्देश्य की पूर्ति के लिए रायपुर तहसील का चयन किया गया है। जिसके अंतर्गत 100 विद्यार्थियों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से चयन किया गया है। जिसमें 50 छात्र एवं 50 छात्राएं हैं जिसे यादृच्छिक न्यादर्श द्वारा चयन किया गया है।

चर

- (क) स्वतंत्र चर – मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम
(ख) आश्रित चर – बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव

उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु आँकड़ों को एकत्र करने के लिए स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया है।

सांख्यिकीय विश्लेषण

प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध में प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया है।

परिकल्पना का प्रमापीकरण एवं परिणाम

सारणी क्रमांक 1

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से विद्यालयों में प्रतिवर्ष दर्ज संख्या का प्रश्न छात्र-छात्राओं की संख्या एवं हाँ एवं नहीं का मत दर्शाने वाली सारणी



प्रश्न क्रमांक	प्रश्न	विद्यार्थी	कुल संख्या	हाँ	नहीं
1.	क्या सभी छात्र-छात्राएँ निर्धारित समय में भोजन करते हैं?	छात्र	50	46	4
		छात्राएं	50	28	22
2.	क्या आपके विद्यालय में भोजन करने के लिए जगह की व्यवस्था हैं?	छात्र	50	44	6
		छात्राएं	50	26	24
3.	क्या आपके विद्यालय में भोजन करने के लिए बर्टन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं?	छात्र	50	40	10
		छात्राएं	50	32	18
4.	क्या आपको विद्यालय में भोजन करना अच्छा लगता है?	छात्र	50	22	28
		छात्राएं	50	34	16
5.	क्या विद्यालय में बर्टनों की साफ-सफाई में आपकी मदद ली जाती हैं?	छात्र	50	46	4
		छात्राएं	50	40	10

व्याख्या :-

परिकल्पना 1- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की प्रतिवर्ष दर्ज संख्या में होने वाली वृद्धि में सार्थक अंतर पाया जाएगा।

इस परिकल्पना के अंतर्गत 5 प्रश्नों को रखा गया है जिसमें 50 छात्र एवं 50 छात्राओं का मत लिया गया है।

प्रश्न क्रमांक 1 के अनुसार क्या सभी छात्र-छात्राएँ निर्धारित समय में भोजन करते हैं? के जवाब में छात्रों के हाँ का मत 46 एवं नहीं का मत 4 प्राप्त हुआ उसी प्रकार छात्राओं में से 28 ने हाँ एवं 22 ने नहीं में उत्तर दिया।

प्रश्न क्रमांक 2 के अनुसार क्या आपके विद्यालय में भोजन करने के लिए जगह की व्यवस्था हैं? के जवाब में छात्रों के हाँ का मत 44 एवं नहीं का मत 6 प्राप्त हुआ उसी प्रकार छात्राओं में से 26 ने हाँ एवं 24 ने नहीं में उत्तर दिया।

प्रश्न क्रमांक 3 के अनुसार क्या आपके विद्यालय में भोजन करने के लिए बर्टन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं? के जवाब में छात्रों के हाँ का मत 40 एवं नहीं का मत 10 प्राप्त हुआ उसी प्रकार छात्राओं में से 32 ने हाँ एवं 18 ने नहीं में उत्तर दिया।

प्रश्न क्रमांक 4 के अनुसार क्या आपको विद्यालय में भोजन करना अच्छा लगता है? के जवाब में छात्रों के हाँ का मत 22 एवं नहीं का मत 28 प्राप्त हुआ उसी प्रकार छात्राओं में से 34 ने हाँ एवं 16 ने नहीं में उत्तर दिया।

प्रश्न क्रमांक 5 के अनुसार क्या विद्यालय में बर्टनों की साफ-सफाई में आपकी मदद ली जाती हैं? के जवाब में छात्रों के हाँ का मत 46 एवं नहीं का मत 4 प्राप्त हुआ उसी प्रकार छात्राओं में से 40 ने हाँ एवं 10 ने नहीं में उत्तर दिया।

2. परिकल्पना 2- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की प्रति वर्ष शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर पाया जाएगा।

प्रश्न क्रमांक	प्रश्न	विद्यार्थी	कुल संख्या	हाँ	नहीं
1.	क्या आपको पिछले 4 हफ्तों में भोजन उपलब्ध कराया गया? (छुटियों के दिनों को छोड़कर)	छात्र	50	32	18
		छात्राएं	50	42	8



2.	क्या आपको घर की अपेक्षा विद्यालय में अच्छा भोजन प्राप्त होता हैं?	छात्र	50	20	30
		छात्राएं	50	28	22
3.	क्या आपको रोजाना एक ही प्रकार का भोजन उपलब्ध कराया जाता हैं?	छात्र	50	32	18
		छात्राएं	50	40	10
4.	क्या आपके विद्यालय में भोजन करने के लिए बर्तन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं?	छात्र	50	28	22
		छात्राएं	50	32	18
5.	क्या सभी छात्र-छात्राएं निर्धारित समय में भोजन करते हैं?	छात्र	50	44	6
		छात्राएं	50	40	10

व्याख्या :-

परिकल्पना H₂ :- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की प्रति वर्ष शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर पाया जाएगा।

इस परिकल्पना के अंतर्गत 5 प्रश्नों को रखा गया है जिसमें 50 छात्र एवं 50 छात्राओं का मत लिया गया है।

प्रश्न क्रमांक 1 के अनुसार क्या आपको पिछले 4 हफ्तों में भोजन उपलब्ध कराया गया? (छुट्टियों के दिनों को छोड़कर) के जवाब में छात्रों के हाँ का मत 32 एवं नहीं का मत 18 प्राप्त हुआ उसी प्रकार छात्राओं में से 42 ने हाँ एवं 8 ने नहीं में उत्तर दिया।

प्रश्न क्रमांक 2 के अनुसार क्या आपको घर की अपेक्षा विद्यालय में अच्छा भोजन प्राप्त होता हैं? के जवाब में छात्रों के हाँ का मत 20 एवं नहीं का मत 30 प्राप्त हुआ उसी प्रकार छात्राओं में से 28 ने हाँ एवं 22 ने नहीं में उत्तर दिया।

प्रश्न क्रमांक 3 के अनुसार क्या आपको रोजाना एक ही प्रकार का भोजन उपलब्ध कराया जाता हैं? के जवाब में छात्रों के हाँ का मत 32 एवं नहीं का मत 18 प्राप्त हुआ उसी प्रकार छात्राओं में से 40 ने हाँ एवं 10 ने नहीं में उत्तर दिया।

प्रश्न क्रमांक 4 के अनुसार क्या आपके विद्यालय में भोजन करने के लिए बर्तन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं? के जवाब में छात्रों के हाँ का मत 28 एवं नहीं का मत 22 प्राप्त हुआ उसी प्रकार छात्राओं में से 32 ने हाँ एवं 18 ने नहीं में उत्तर दिया।

प्रश्न क्रमांक 5 के अनुसार क्या सभी छात्र-छात्राएं निर्धारित समय में भोजन करते हैं? के जवाब में छात्रों के हाँ का मत 44 एवं नहीं का मत 6 प्राप्त हुआ उसी प्रकार छात्राओं में से 40 ने हाँ एवं 10 ने नहीं में उत्तर दिया।

सार्वभौमिक निष्कर्ष

अनुसंधान के निष्कर्ष समस्या के समाधान होते हैं। उनका प्रतिपादन शोध सामग्री के विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर किया जाता है निष्कर्ष सामग्री विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों को समस्या से जोड़ता है। निष्कर्षों की स्थापना के स्तर पर शोधकर्ता सतही परिणामों की गहराई में जाकर उनके सिद्धांतों एवं व्यवहारिकता की समीक्षा करता है इस संपूर्ण क्रिया में शोध कर्ता की मानसिक क्षमता, विषय का ज्ञान एवं कल्पना शक्ति का बहुत महत्व होता है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक विद्यालयों की विद्यार्थियों की शिक्षा एवं स्वास्थ पर मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का तुलनात्मक अध्ययन किया गया अध्ययन के लिए आंकड़ों का उपयोग किया गया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि मध्यान्ह भोजन से ग्रामीण व शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं देखा गया। ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के स्वास्थ पर मध्यान्ह भोजन का कोई प्रभाव नहीं देखा गया और शहरी



विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का मध्यान्ह भोजन का स्वास्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा न खराब हुआ न अच्छा हुआ। भोजन की जगह की व्यवस्था भोजन का समय और अधिकारियों, शिक्षकों का समय—समय पर अवलोकन किया गया इन सभी में मत उपयुक्त पाया गया। इसका निष्कर्ष यह है कि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शिक्षा एवं स्वास्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

सुझाव

1. राज्य शासन को चाहिए कि माध्यन्ह भोजन कार्यक्रम हेतु निर्धारित राशि की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए।
2. राज्य शासन को चाहिए कि महिला स्वस्थायता समूह द्वारा संचालित माध्यन्ह भोजन कार्यक्रम का समय—समय पर निरीक्षण करना चाहिए।
1. माध्यन्ह भोजन करते समय छात्र-छात्रओं की स्वास्थ्य और सफाई पर ध्यान देना चाहिए।
2. माध्यन्ह भोजन कार्यक्रम से छात्र-छात्रओं एवं शिक्षकों को होनी वाली समस्या हेतु शासन को निर्देश तथा सुझाव देना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सरीन एण्ड सरीन (2003), “शैक्षिक अनुसंधान विधियाँ”, पृ. संख्या –23।
2. पाठक पी. डी. (2005), “शिक्षा मनोविज्ञान”, पृ. संख्या –25–35।
3. पाण्डेय राम शकल (1987), “शिक्षा दर्शन” विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, तेरहवाँ संस्करण, पृष्ठ संख्या 25–30।
4. महेश भार्गव (1992–93), “मनोविज्ञानिक परीक्षण एवं मापन” शैक्षिक प्रकाशन, आगरा पृष्ठ संख्या 45–46।
5. भटनागर आर. पी. एवं भटनागर मीनाक्षी (2005), “शिक्षा अनुसंधान” इंटरनेशनल पब्लिसिंग हाउस, मेरठ, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ संख्या 223–233।
6. भटनागर (1973), “अनुसंधान परिचय” लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, पृष्ठ संख्या 62–90।
7. कपिल डॉ. एच. के. (1992–93), “अनुसंधान विधियाँ” भार्गव बुक हाउस, सप्तम संस्करण, पृष्ठ संख्या 38–40, 71–75।
8. मड डे मील कार्यक्रम (दिशा निर्देश) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार।
9. बुच. एम.बी. फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, एनसीईआरटी, नई दिल्ली 1983–88
10. मदान, यादव एवं भदौरिया (2013), भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास तथा समस्यायें, अग्रवाल पब्लिकेशंस, आगरा



A Study Of Defence Mechanism Among The Students Of Class 11th In Raipur City

Dr. Savita Solomon,
Assistant Professor, Pragati College, Raipur

Summary

Introduction :-

Defense mechanisms are unconscious state of mind. Our minds find a way out for our emotions and satisfy us, take away us from unpleasant circumstances. It is the conflict between ego and super ego, one made a person emotional (sorrow, angry, unpleasant) and the other make it bearable and provide a way out from this unpleasant emotional conditions. Defense mechanism is protection from undesired emotions and help during the time of grief and sorrow but sometimes it can take wrong turn and could be very dangerous. Defense mechanism sometime can split the personality of a person which led to amore difficult stage where one needs the help of a qualified professional to help him and bring him on the right track.

"Defense mechanisms are psychological strategies employed by a person in order to reduce or avoid negative states such as conflicts, frustration, anxiety and stress."

- **Encyclopedia of Psychology**

"Defense mechanisms are the devices that ego defends itself against conflicts and anxieties by forcing unpleasant thought and impulses to the unconscious level."

- **Sigmund Fraud**

Importance of defense mechanism

This study was important for those who are interest in psychological literature, and it is also useful for everybody in a society. it can by a guideline for understanding children behaviour.

Study of related literature

The relevant literature helps in lying the foundation of their search directs in the investigator in designing the research design developing & executing the research and helps in developing confidence in the investigator.

1. Fatimah Sadat Sepidehdam (2012) "A study of relatio between defense mechanisms and job bush out among ilran AIR Staff." there is a significant difference between the once striction with job burnout and the ones not sticker with it in neurotic defense style.
2. Jodi, Ann Lord (2009) "Identification of a dominnt defense mechanism for children in other middle childhood in dealing with feel. The finding of result revealed that the children in their middle childhood had high level of feelings.
3. David, J. Hannah (2008) "A study of defense mechanisms of perfectionalist." Results revealed that significant defensives were found among the groups on mature, immature and neurotic defense styles.
4. Cramer, P. (2003) "A study of defense mechanism and psychological adjustment in childhood. There was no relationship between childless use of denial and their level of perverted competence.



5. Rishipal (2001) "Managerial effectiveness and defense mechanism styles: a comparison of different level of managers." 1. The findings of results revealed that there was a significant difference in male and female managerial affections and defense mechanism at different level. 2. There is a negative and significant correlation between the managerial effectiveness of junior level manager and the immature styles of defense mechanism adopted by them.
6. Mrinal, W.R. and Fadnis, P.B. (1984) A study of defense mechanism in defense personal. The results that there is no significant difference of level of defense mechanism in their defense style.

Statement of the Problem

A study of defense mechanism among the students of class 11th in Raipur city

Objective of research

1. To study defense mechanisms used by the students of class XI.
2. To study why such defense mechanisms were used.

Hypothesis

H_1 There will be a significant difference between the turning against object (TAO) of defense mechanism among the government and private school students of class XI.

H_2 There will be a significant difference between the projection (PRO) of defense mechanism among the government and private school students of class XI.

Operational definition

"Defense mechanisms are the attempts by the individual to reduce anxiety. Their functions serve at the level of unconsciousness. they may not completely solve the problems. They appear to extend time for direct problem solving."

- Devid Krech, Richard S. Cructhfield and Norman Livson

Variables of the problem

Independent variable : Students of Class XI

Dependent variable : Defense Mechanism

Delimitation

1. The study is limited to the schools located in the Raipur city.
2. For this study, the students of class 11th were sampled.
3. For this study, the sample has been taken from a limited area under which the field work was carried out.
4. For this study, the sample has been taken from 5 government and 5 private schools only.

Research methodology: In the present study, descriptive survey research method is adopted and employed. The private and Government school students of class 11 of Raipur (C.G.) have been taken as the population. 100 students of class 11th of private and Government schools from Raipur (C.G.) city have been taken as the sample. Simple random sampling method is used.

Tools

"A study of defense mechanism among the students of class XI. I used the manual." Defense mechanism inventory (DMI) made by Dr. N.R. Mrinal and Usha Singhal.



Statistical analysis

The following statistics was used in representing information received for the study in order to describe the characteristic of information of sample by using Mean, standard deviation, Critical Ratio and T-test to test hypotheses.

Testing & proving the hypothesis

H₁ There will be a significant difference between the turning against object (TAO) of defense mechanism among the government and private school students of class XI.

Table no. 1

Table showing the scores of mean, standard deviation and critical ratio between the TAO of defense mechanism among government and private school students

School	No. of students	Mean	S.D.	C.R.	Significant or Insignificant
Government School	50	50.50	6.81	2.85	Significant at 0.05 level
Private School	50	56.46	13.11		

The above table shows that, 50 government school and 50 private school students, the mean values are 50.50 and 56.46 respectively on the basis of which we can conclude that private school students used more TAO of self defense mechanism than that of government school students and standard deviation is 6.81 and 13.11.

on the basis of mean value, the critical ratio (C.R.) was calculated and it was 2.85 for degree of freedom 98 at 0.05 level, the table value for t was 1.98 which was less than ours calculated value. Hence it was indicated that there is difference in the TAO of defense mechanism and therefore the Hypothesis-1 that "there will be significant difference between the turning against object of defense mechanism among the government and private students of class XI is proved.

H₂ There will be a significant difference between the projection (PRO) of defense mechanism among the government and private school students of class XI.

Table no. 2

Table showing the scores of mean, S.D. and C.R. of PRO of defense mechanism among government and private school students

School	No. of students	Mean	S.D.	C.R.	Significant or Insignificant
Government School	50	52.64	11.66	2.25	Significant at 0.05 level
Private School	50	55.26	10.86		

It was from the table that, 50 government school students and 50 private school students, the mean values are 52.64 and 55.26 respectively.

On the basis it was concluded that private school students use more PRO of sect defense mechanism than that of government school students, and also S.D. value from both the school was 11.66 and 10.86 respectively.

On the basis of difference is mean value of both government and private school critical ratio (CR) was calculated and it was 2.25. At 98 degree of freedom at 0.05 level, the table value was 1.98 which was less than our calculated value. Hence, it was indicated that there is difference in the mean value of PRN of government and private school students and hence the



Hypothesis-2. There will be significant difference between the projection (PRO) of defense mechanism among the government and private school students of class XI was proved.

Result

the present study reveals that in the first hypothesis i.e. "There will be a significant difference between the turning against object of defense mechanism among the government and private school students of class XI." it was found that use of TAO of defense mechanism among private school students is more than that of government school students.

Also after the analysis of second hypothesis i.e. "There will be significant difference between the projection (PRO) of defense mechanism among the government and private school students of class XI." it was found that the use of PRO of defense mechanism among private school students is more an compared to government school students.

Conclusions

The defense mechanism have a great role in our lives. They are essential in order to improve ourselves and accommodate for the changing conditions. Every individual wants to get rid of the blockades. Undoubtly 11th grade students wants to get rid of the blockader that they face by benefitting from the defense mechanism.

These students use the defense mechanism whenever they face several events like, difficulties in their lessons or exams, arguments with their friends and families, facing sad impetuses originated from the outside, world and resulted in frustration and trial to protect themselves when someone attempt to injure them.

Students apply these mechanism in order to get rid of these difficult situations and to remove the air of depression originated from rough exam psychology and stress.

Consequently defense mechanism are used by the 11th grade students in a way escaping from blockades comporting them selves and eliminating the stress.

Follow up studies

1. Defense mechanism among the students of ICSE and CBSE.
2. Defense mechanism among the students of urban and rural areas.
3. Defense mechanism among the students of Graduation Level.
4. Defense mechanism among the students of Post Graduation level.

Bibliography

1. Cramer, P. (2000). Defense mechanism is psychology today : Further Process for Adaptation. *American Psychologist*, 55, 637-646
2. Cramer, P. (2001). Identification and its relation to identity development. *Journal of Personality*, 69, 667-687
3. Cramer, P. (1998). Defense mechanism in contemporary personality research. *Journal of Personality*, 66, 879-1157
4. Freud, A. (1936) the ego and the mechanisms of defense. New your: International University Press.
5. Hibbard, S., Farmer, L., Wells, C., Difillipo, E. Barry, W. Korman, R. et. al. (1994) validation of Cramer's defense mechanism manual for the TAT. *Journal of personality Assessment*. 63, 197-210

**शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की व्यावसायिक आकांक्षा स्तर
का तुलनात्मक अध्ययन**

* भारती भार्गव, एम.एड. (प्रशिक्षार्थी) प्रगति महाविद्यालय, चौबे कालोनी रायपुर (छ.ग.)

** डॉ. सविता सालोमन, सहा. प्राध्यापिका (शिक्षा संकाय) प्रगति महाविद्यालय, चौबे कालोनी रायपुर (छ.ग.)

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन हेतु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले केवल 12वीं कक्षा वाले लगभग 16 से 18 वर्ष के आयु के छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है। इस अध्ययन हेतु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले सभी संकाय के छात्रों का चयन किया गया है। इस अध्ययन के लिए डॉ. जे. एस. ग्रेवाल द्वारा प्रस्तुत व्यवसायिक आकांक्षा परीक्षण का प्रयोग किया। इसमें “शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की व्यावसायिक आकांक्षा में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।” “शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों (बालकों) की व्यावसायिक आकांक्षा में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।” “शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों (बालिकाओं) की व्यावसायिक आकांक्षा में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।”

भूमिका

मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय आकांक्षाओं का स्तर किसी व्यावसाय चयन के क्षेत्र में संबंध रखते हैं अतः व्यावसायिक आकांक्षा का साधारण अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा आदर्श माना गया व्यावसाय है। वर्तमान जगत में व्यावसायिक चयन एक महत्वपूर्ण विषय है। आर्थिक दृष्टिकोण से इसका महत्व अवर्णनीय है। समाज एवं राष्ट्र की दृष्टि से भी इसका बहुत अधिक महत्व है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा उसको सुखमय बनाने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई कार्य अवश्य करना पड़ता है, क्योंकि उसके बीना जीवन के आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई व्यावसाय करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति में आकांक्षा का स्तर भिन्न-भिन्न पाया जाता है, उसी प्रकार कार्यों में भी भिन्नता होती है। आकांक्षा और आकांक्षा स्तर व्यक्ति के जीवन निर्माण को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति क्या बनने की आकांक्षा रखता है वह इस दिशा में कितना प्रयास या सफलता प्राप्त करना चाहता है, यह सब उस व्यक्ति की आकांक्षा स्तर पर निर्भर करता है और यही आकांक्षा स्तर व्यक्ति के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। अतः उनकी व्यवसायिक आकांक्षा में भी अंतर होना स्वाभाविक है। शोधकर्ता ने अपने इस लघुशोध में यही जानने का प्रयत्न किया है विभिन्न शालाओं में अध्ययनरत छात्रों की व्यवसायिक आकांक्षा अलग-अलग है। छात्र-छात्राओं की आकांक्षाएं भिन्न-भिन्न क्यों हैं, यही कारण जानने का हम प्रयास कर रहे हैं।

अध्ययन का महत्व

शिक्षा सतत व अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मानव जन्म से मृत्यु तक जो कुछ सीखता है, अपनाता है और अनुभव करता है वह शिक्षा ही है। शिक्षा के द्वारा ही वह समृद्धि प्राप्त करता है। यह वह ज्ञान है जो बालक रूपी हीरे की कमशः बुराईयों को दूर करके उसमें आंतरिक गुणों को जगमगा देता है। जिसके प्रकाश में बालक स्वयं अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है और समाज को भी लाभ पहुंचाता है। शिक्षा के माध्यम से ही संसार की वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति संभव है। सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में विद्यालय नहीं थे। परिवार, समुदाय तथा धार्मिक संस्थाएं ही विद्यालय का काम करती थी। मानव का अनुभव सोचने की क्षमता समय अति संकीर्ण थी मानव जीवन अति सरल एवं उदार था किन्तु ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई, जीवन रूपी पथ दुर्गम होता गया।



आज के युग में विभिन्न क्षेत्रों में इतना अधिक विकास एवं अविष्कार हो चुका है कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि संपूर्ण विषय की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। ऐसी स्थिति में मनुष्य के अनुभवों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करके विद्या सामग्री को इतना सीमित, निश्चय तथा अनुस्तरित करके, योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है। यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तथा एक मनोवैज्ञानिक समस्या का रूप धारण करती जा रही है। समस्या के कारणों का खोज करने पर हम उसकी जड़ें प्रोत्साहन, वातावरण एवं बालकों की रुचि की धरातल पर पाते हैं।

अक्सर अभिभावक सुविधाएं तो काफी जुटा लेते हैं परन्तु बालक की रुचि एवं वातावरण पर ध्यान नहीं देते जिससे बालक का यथेष्ट विकास नहीं हो पाता। परिणामतः बालक का शैक्षिक एवं व्यावसायिक आकांक्षा प्रभावित होती है साथ ही शोधकर्ता ने समस्या का चुनाव करते हुए इस बात का ध्यान रखा कि शासकीय अथवा अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनतरत् बालकों की शैक्षिक अथवा व्यावसायिक आकांक्षा किस तरह से प्रभावित होती है? एवं क्या प्रभाव पड़ता है? इस अध्ययन के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को चुना गया, क्योंकि इस स्तर के बालकों की शैक्षिक आकांक्षा पर ही उस बालक के भविष्य की नींव टिकी है। उसकी भविष्य को व्यावसायिक रुचि, शैक्षिक विषय का चयन आदि के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

संबंधित शोध साहित्य

नागमणि (2002) ने उच्चशिक्षित, अशिक्षित एवं निम्न शिक्षित अभिभावकों के पाल्यों के व्यावसायिक आकांक्षा का तुलनात्मक अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि – निष्कर्ष : माता-पिता का शैक्षिक स्तर बालकों के व्यावसाय चयन का प्रभावित करता है। उच्च शिक्षित अभिभावक के बच्चे उच्च स्य व्यावसाय का चयन करते हैं। जबकि वर्तमान में माता-पिता का सामाजिक स्तर उसकी व्यावसायिक चयन को व नहीं करता है और निम्न सामाजिक स्तर वाले का के बालक भी उच्च स्तरीय व्यावसाय का चयन करते पाये गये।

रमा (1986) ने भिलाई इस्पात संयंत्र के उच्चतर माध्यमिक श के विज्ञान एवं कला विषय के छात्रों की व्यावसायिक का स्तर का तुलनात्मक अध्ययन पर शोधकार्य किया तथा निम्नांकित निष्कर्ष प्राप्त किये – विज्ञान विषय के छात्रों की व्यावसायिक आकांक्षा कला विषय के छात्रों की व्यावसायिक आकांक्षा से उच्च होगी। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के विज्ञान विषय के छात्रों की व्यावसायिक आकांक्षा, कला विषय के छात्रों की व्यावसायिक आकांक्षा से उच्च होगी।

आर. एल. शर्मा (1981) इन्होंने कोटा महाविद्यालय में व्यावसायिक प्रधानता एवं समायोजन के संदर्भ में शोध कार्य किया। इन्होंने शोध में 100 प्रतिदर्श का चयन किया था जो हाई स्कूलिस्ट एथिक्स के लिए था तथा निम्न परिणाम निकाले। व्यावसायिक मानता पर समायोजन का विशेष रूप से संबंध होता है।

समस्या का कथन

“शासकीय एवं गैर शासकीय विद्यालयों में अध्ययनतरत 12वीं के विद्यार्थियों की व्यावसायिक आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन”।

अध्ययन का उद्देश्य

1. छात्र-छात्राओं की व्यावसायिक आकांक्षा स्तर का मापन करना।
2. बालकों एवं बालिकाओं के व्यावसायिक आकांक्षा के अनुरूप कार्य करने का अवसर दिया जाये, जिससे वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकें।



अध्ययन की परिकल्पना

भ१ – “शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की व्यावसायिक आकांक्षा में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।”

भ२ – “शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों (बालकों) की व्यावसायिक आकांक्षा में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।”

भ३ – “शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों (बालिकाओं) की व्यावसायिक आकांक्षा में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।”

अध्ययन की परिसीमा

1. दुर्ग जिले के भिलाई नगर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है।
2. इस अध्ययन हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शासकीय एवं गैरशासकीय विद्यालयों का चयन किया गया है।

शोध विधि

शोधकर्ता ने प्रतिदर्श के लिए लॉटरी विधि का उपयोग किया गया है।

न्यादर्श

उ. मा. विद्यालय में अध्यनरत् विद्यार्थियों के व्यावसायिक शिक्षा व गैर व्यावसायिक शिक्षा के प्रति रुचि का अध्ययन करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों से कुल 120 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

चर

शोधकर्ता ने उच्चतर माध्यमिक स्तर के कक्षा 12वीं के शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के विद्यार्थियों के व्यवसायिक आकांक्षा का अध्ययन किया है जिसमें व्यावसायिक आकांक्षा को आश्रित चर तथा शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को स्वतंत्र चर के रूप में लिया गया है।

उपकरण

व्यावसायिक आकांक्षा मापन आकांक्षा मापन का चयन समस्या से संबंधित विद्यार्थियों की आकांक्षा मापने के आंकड़ों को एकत्र करने के लिए शोधकर्ता ने डॉ. जे. एस ग्रेवाल रीडर शिक्षा विभाग रीजनल कालेज ऑफ भोपाल द्वारा निर्मित निर्मित व्यवसायिक आकांक्षा मापनी की सहायता से किया। इस मापनी में विभिन्न व्यवसायों के क्रमानुसार उच्च मध्यम और निम्न क्रम में रखा गया। यह छात्रों की मानसिक और बौद्धिक इच्छानुसार निर्धारित है।

सांख्यिकीय विश्लेषण

व्यवसायिक आकांक्षा मापन हेतु फलांकन के पश्चात् आंकड़ों को प्रमाणीकृत आंकड़ों में परिवर्तित किया गया। इसका परीक्षण करने के लिए मध्यमान, प्रमाणिक विचलन, क्रांतिक अनुपात एवं टी मूल्य की गणना कर परिणाम को प्राप्त किया गया है।

तालिका क्रमांक – 1

शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की व्यवसायिक आकांक्षा स्तर का संख्या, मध्यमान, प्रमाण विचलन, टी मूल्य एवं परिणाम दर्शाने वाली सारणी

क्र.	विद्या का विवरण	प्रदत्तों की कुल संख्या	मध्यमान	प्र./वि.	टी. मूल्य	परिणाम
1	शास.	60	44.4	7.60		अस्वीकृ



	विद्यालय				3.64	त
2	अशास. विद्यालय	60	49.1	6.41		
$df = 118$						

व्याख्या :-

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की व्यवसायिक आकांक्षा का मध्यमान 44.4 तथा प्रमाणिक विचलन 7.60 प्राप्त हुआ है, एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की मध्यमान 49.1 तथा प्रमाणिक विचलन 6.41 प्राप्त हुआ है। दोनों के मध्य टी. का मूल्य 3.64 प्राप्त हुआ जो सार्थकता स्तर 0.01 पर तालिका मूल्य 2.62 से अधिक है। जो सार्थक अंतर सिद्ध करता है, अतः शोधकर्ता का परिकल्पना अस्वीकृत होता है। उपरोक्त निष्कर्ष से जानकारी प्राप्त होती है, कि शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की व्यवसायिक आकांक्षा के मध्य सार्थक अंतर पाया गया।

यह इसलिए संभव है क्योंकि हिंदी माध्यमों (जो कि छ.ग.शि.मंडल द्वारा संचालित विद्यालय) के विद्यार्थियों के मध्य कुछ प्राथमिक अंतर होता है, उन विद्यालयों में पाये जाने वाले सुविधाओं एवं शिक्षकों के शिक्षण प्रक्रिया, उनके दिनचर्या से प्रभावित हो सकते हैं एवं साथ ही हम यह भी देखते हैं कि शासकीय विद्यालयों में शिक्षा को मात्रा साक्षरता या प्रमाण पत्र की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अशासकीय विद्यालयों में शिक्षा के मूल मंत्र के आधार पर उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देते हैं। साथ ही व्यवसायिक आकांक्षा एवं व्यक्तिगत भिन्नता पर भी निर्भर करती है, यही कारण है कि व्यवसायिक आकांक्षा में अंतर पाया गया—
 H_2 “शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 12वीं के छात्र (बालकों) के व्यवसायिक आकांक्षा स्तर में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।”

तालिका क्रमांक – 2

शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 12वीं के छात्र (बालकों) के व्यवसायिक आकांक्षा स्तर का संख्या, मध्यमान, प्रमाप विचलन, टी मूल्य एवं परिणाम दर्शाने वाली सारणी

क्रं.	छात्रों का विवरण	प्रदत्तों की कुल संख्या	मध्यमान	प्र / वि.	टी. मूल्य	परिणाम
1	शास.विद्यालय के बालक	30	45.13	7.60	3.01	अस्वीकृत
2	अशास.विद्यालय के बालक	30	51.0	6.72		
$df = 58$						

व्याख्या :-

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों (बालकों) का व्यवसायिक आकांक्षा का मध्यमान 45.13 तथा प्रमाणिक विचलन 7.60 प्राप्त हुआ है एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों (बालकों) के व्यवसायिक आकांक्षा का मध्यमान 51.0 तथा प्रमाणिक विचलन 6.72 प्राप्त हुआ है, एवं दोनों चरों के मध्य टी. का मूल्य 3.01 प्राप्त हुआ है। जो कि सार्थकता स्तर 0.01 के तालिका मूल्य 2.66 से अधिक है। जो कि सार्थक अंतर सिद्ध करता है, अतः शोधकर्ता का परिकल्पना अस्वीकृत होता है। उपरोक्त निष्कर्ष से जानकारी प्राप्त होता है कि शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी (बालकों) के व्यवसायिक आकांक्षा के मध्य सार्थक अंतर है।



यह इसलिए भी हो सकता है कि शासकीय शालाओं के अपेक्षा अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षण के अलावा अन्य कार्य नहीं करने पड़ते हैं जिससे वे छात्रों के साथ ज्यादा समय देते हैं। साथ ही इन स्कूलों के संचालक व्यवस्था के उपर कम स्कूलों की जिम्मेदारी होती है और वे जिसके कारण शिक्षकों का कार्य निर्वहन पर नियंत्रण अच्छे तरीके से रख पाते हैं उन पर परिवार के आदर्शों, शिक्षा एवं विचारों के कारण अच्छा प्रभाव पड़ता है, जबकि शासकीय विद्यालयों में कम पढ़े लिखे आर्थिक- दृष्टि से पिछड़े एवं विचारों में निम्नता वाले परिवार के बच्चे के कारण भी इनकी व्यवसायिक आकांक्षा व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करता है। यही कारण है कि दोनों प्रकार के बालकों के व्यवसायिक आकांक्षा में अंतर पाया गया।

H₃ “शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 12वीं छात्राओं के व्यवसायिक आकांक्षा स्तर में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

तालिका क्रमांक – 3

शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 12वीं छात्राओं के व्यवसायिक आकांक्षा स्तर का संख्या, मध्यमान, प्रमाण विचलन, टी मूल्य एवं परिणाम दर्शाने वाली सारणी

क्रं.	छात्राओं (आंकड़ों) का विवरण	प्रदत्तों की कुल संख्या	मध्यमान	प्र./वि.	टी.मूल्य प्राप्ती	परिणाम
1	शास. विद्यालय के छात्राएं	30	43.66	7.59	1.90	स्वीकृत
2	अशास. विद्यालय के छात्राएं	30	47.13	6.09		
$df = 58$						

व्याख्या :-

सारणी क्रमांक 4.3 से स्पष्ट है कि शासकीय विद्यालयों के छात्राओं के व्यवसायिक आकांक्षा का मध्यमान 43.66 तथा प्रमाणिक विचलन 7.59 प्राप्त हुआ है, एवं अशासकीय विद्यालयों के छात्राओं का मध्यमान 47.13 तथा प्रमाणिक विचलन 6.09 प्राप्त हुआ है दोनों के मध्य टी का मान 1.90 प्राप्त हुआ है, जो सार्थकता स्तर 0.01 के तालिका मूल्य 2.66 से कम है। अतः सार्थक अंतर नहीं दर्शाता है। अतः शोधकर्ता का परिकल्पना स्वीकृत होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शासकीय एवं विद्यालयों के छात्राओं के व्यवसायिक आकांक्षा में कोई अंतर नहीं पाया गया।

निष्कर्ष

संपूर्ण परिकल्पनाओं एवं निष्कर्षों के विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि बालकों की शैक्षिक आकांक्षा एवं आकांक्षा पर उनके विद्यालयीन एवं निवास स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। शासकीय विद्यालयों की अपेक्षा कर विद्यालयों के विद्यार्थियों की व्यवसायिक आकांक्षा में भिन्नता होती है। साथ ही निष्कर्षों से यह स्पष्ट है, कि शासकीय विद्यालयों के छात्र एवं अशासकीय विद्यालयों के छात्र (बालकों) के व्यवसायिक आकांक्षा में सार्थक अंतर पाया गया।

लेकिन शासकीय विद्यालयों के छात्राओं एवं अशासकीय विद्यालयों के छात्राओं के व्यवसायिक आकांक्षा में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अन्य निष्कर्षों के परिणाम के अनुसार यह कहा जा सकता है कि



शासकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के व्यवसायिक आकांक्षा में सार्थक अंतर नहीं पाया गया, एवं अशासकीय घालयों के छात्र-छात्राओं के व्यवसायिक आकांक्षा में सार्थक अंतर पाया गया ऐसा इसलिए हो सकता है कि समान विद्यालयों में एक समान सुविधाएं, शिक्षा, वातावरण, निर्देशन एवं साथ ही एक ही जैसे पाठ्यक्रम व संचालन विधि आदि एक समान प्रभाव के कारण ऐसा होता है।

सुझाव

इस सर्वेक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों की शाकांक्षा का निर्माण एवं उत्कर्ष विद्यार्थियों के आसपास तथा परिवेश से सीधे संबंधित रहते हैं। सामाजिक साथ पारिवारिक और विद्यालयीन परिवेश भी काफी भूमिका अदा करते हैं। यदि यह सारा वातावरण कतानुसार अनुकूलता प्रदान करता रहे तो किसी भी विद्यार्थी र व्यवसायिक आकांक्षा का निर्माण उस बालक की उच्चतम मानसिक योग्यता के आधार पर किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थान में भाव एवं अभिव्यक्ति में एकरूपता आवश्यक है। विद्यालयों में छात्रों को व्यवसाय भिन्नता की जानकारी से अवगत कराते रहना चाहिए। इसके लिए उचित परामर्श और मार्गदर्शन की कक्षाएं चलाना चाहिए। उन्हें विभिन्न व्यवसायों की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में विधिवत् विस्तृत जानकारी देना चाहिए।

- पाठ्यक्रम अभिरुचि पूर्ण हो जिससे विद्यार्थियों में जिज्ञासा पूर्ण होने की स्थिति आये।
- व्यवसायिक आकांक्षा की पूर्ति हेतु नवीन पद्धति का समावेश होना चाहिए।
- उनकी आकांक्षा या जिज्ञासा की पूर्ति हेतु सटीक परिकल्पना भी आवश्यक है।
- अभिभावकों द्वारा पाल्यों को अच्छी सुविधाएं दी जानी चाहिए।
- शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों के आकांक्षा को समझकर उनका सही तरीके से विकास करने में सहयोग दें।
- बालक यदि किसी विषय या खेल के प्रति विशेष रुचि रखते हैं तो अभिभावक को उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। जिससे उनकी रुचि एवं उपलब्धि कुछ विशेष क्षेत्र में दृढ़ता को प्राप्त कर सकें।

शैक्षणिक निहितार्थ

इस शोध अध्ययन में शिक्षा की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। देश में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर संबंध बढ़ रहा है, पिछड़े तथा दबे लोगों के समाज में चेतना जागृत हो रही है। एक प्रकार से देश में नवीन सामाजिक संरचना का विकास हो रहा है, इसके प्रभाव से विद्यालय भी वंचित नहीं है और परिवर्तनों का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण रास्ता शिक्षा है।

शैक्षणिक अनुसंधान उचित प्रकार सामाजिक संबंध विकसित करने में सहायक हो सकता है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मनोविज्ञान बालक के भावात्मक विकास पर अधिक ध्यान देता है। भावात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास में परिवार तथा विद्यालय के वातावरण की भूमिका अहम होती है। अनुसंधान द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि विद्यालय में उपयोगी एवं शिक्षाप्रद वातावरण का निर्माण कैसे हो सकता है? अधिगम सरल बनाने, शिक्षण में अभिप्रेरणा तथा रुचि पर ध्यान देने एवं उचित अभिवृत्तियों के विकास, असामान्य एवं प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में अनुसंधान द्वारा ही सहायता मिल सकती है। शिक्षण प्रक्रिया से अध्यापक प्रशिक्षण और शिक्षण का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक विषय में नवीन ज्ञान की अभिवृद्धि हो रही है, अनुसंधान द्वारा ही शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को परिमार्जित किया जा सकता है। प्रशिक्षण की नवीन विधियों के विकास में



अनुसंधान अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। शैक्षिक प्रशासन शिक्षा में नवीन नीतियों की सफलता की कुंजी है, पाठ्यक्रम की रचना करना बड़ा जटील कार्य है। पाठ्यक्रम प्रत्येक स्तर के लिये पृथक—पृथक होता है। इसके निर्माण के समय समय छात्रों की आयु बौद्धिक स्तर, पर्यावरण तथा विज्ञान ध्यान देना आवश्यक है।

संदर्भित ग्रंथ सूची

- ए.बी.बी.जे.ओ. (1970) "नाईजीरियन छात्रों की शैक्षणिक एवं व्यवसायिक आकांक्षा का अध्ययन।" जनरल ऑफ एज्यूकेशनल एण्ड वोकेशनल मैनेजमेंट
- अग्रवाल, एस.सी. (1972) "व्यवसायिक संस्थानों के शिक्षक एवं शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की व्यवसायिक आकांक्षा की संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन"
- कृष्णन, बी. एवं कुपूस्वामी बी. (1976) "उच्चतर माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों की व्यवसायिक आकांक्षा का अध्ययन। जनरल साइकोलॉजीकल रिसर्च, मैसूर विश्वविद्यालय
- ग्रेवाल, जे.एस. (1984) "मैनुवल फॉर आक्युपेशनल एक्सपेटेशन स्केल।" आगरा : जनरल साइकोलॉजी कॉर्पोरेशन 48230
- गुड, नारमेन, कालेन एवं केथन ए. "आकांक्षा स्तर का लंबवत् अध्ययन" , स्टेट यूनि. स्टोनी, न्यूयार्क
- जयसवास, सीमाराम (1971) "शिक्षार्थी निर्देशन और परामर्श", आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर
- तुलसी, पी.के. एवं कोटले, आर.बी. (1962) "आकांक्षा स्तर पर अहम ग्रस्त से संबंधित अध्ययन"
- धारनल, एस.एम.ए.एस. (1973) "उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अनु. जाति तथा सामान्य जाति के विद्यार्थियों की नियंत्रित स्थिति, बुद्धि तथा व्यवसायिक आकांक्षा का तुलनात्मक अध्ययन "
- शर्मा आर.ए. (2011) शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया सूर्या पब्लिकेशन



मध्याहन भोजन योजना से विद्यालयों में प्राथमिक कक्षा के छात्र-छात्राओं की प्रतिवर्ष शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित प्रश्न का अध्ययन

* महेश कुमार नायक, शोधार्थी, कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

** डॉ. बेनु शुक्ला, प्राध्यापक, कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

सारांश

शिक्षा, मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का एक सशक्त माध्यम है। शिक्षा मानव के दृष्टिकोण पर विशेष प्रभाव डालता है। आज आधुनिक युग में किसी भी राष्ट्र के विकास का सीधा संबंध उस देश के शिक्षित नागरिकों से है अर्थात् मानव के मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। उसी प्रकार किसी देश को विकसित होने के लिए उस देश के सभी नागरिकों का शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में भी तब से अब तक समस्या बनी हुई है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं से शिक्षा का क्षेत्र जुझ रहा है। वर्तमान समय में राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई –पढ़ाबों, नोनी बाबू जोहार एवं मध्याहन भोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी जागृत हों और विद्यालय की दर्ज संख्या में वृद्धि हो। इस कार्यक्रम का लाभ गरीब, परिवार के बच्चे एवं झुग्गी झोपड़ी में निवासरत् श्रमिक बच्चों के साथ–साथ मध्यम एवं उच्च वर्ग के परिवारों के बच्चे को भी मिले ताकि इन बच्चों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक पोषण मिल सके और शिक्षा के प्रति उसके मन में रुचि उत्पन्न हो ताकि वह अपनी पढ़ाई करके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। प्रारम्भ में मध्याहन भोजन कार्यक्रम का मूल उद्देश्य शाला अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बालकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना एवं उनकी शाला में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना था। वर्तमान में देश में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर शाला अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बच्चों की संख्या में कमी आयी है तथा बच्चों की शाला में नियमित उपस्थिति में भी वृद्धि हुई है। अभी भी इस योजना की आवश्यकता बरकरार है। साथ ही साथ बालकों के शारीरिक मानसिक एवं चारित्रिक विकास करना है। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु शासन द्वारा सर्व शिक्षा अभियान को जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत प्राथमिक स्तर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याहन भोजन की व्यवस्था की गई है। जिसका लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के गरीब बालकों सहित सभी वर्ग के बच्चों को मिल सके और विद्यालयों में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या एवं ठहराव में वृद्धि हो। वर्तमान समय में मध्याहन भोजन योजना से सभी वर्गों के बच्चों को लाभ मिल रहा है।

प्रस्तावना :-

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की धूरी है, जिस पर उसके विकास का चक्र धूमता है। राष्ट्र जनों के मानसिक क्षितिज का विस्तार देकर उन्हें प्रत्येक क्षेत्र के कार्य में सक्षम बनाना शिक्षा का उपहार है। शिक्षा को मानवीय जीवन का ज्योर्तिमय पक्ष माना गया है, जिससे मानव के व्यक्तित्व का चर्तुमुखी विकास होता है। शिक्षा मानव के बौद्धिक तथा सामाजिक विकास में जन्म से चल रही प्रक्रिया है। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ सीखता है या करता है वह शिक्षा के माध्यम से ही करता है। प्राचीन काल में शिक्षा को न तो पुस्तकीय ज्ञान का पर्यायवाची माना गया और न ही जीवकोपार्जन का साधन, वरन् शिक्षा को वह प्रकाश माना गया है, जो व्यक्ति को उत्तम जीवन जीने व मोक्ष प्राप्त करने का साधन है।

शिक्षा के मूल उद्देश्य की पूर्ति करना हमारा लक्ष्य है, लेकिन देखना है कि यह योजना कहाँ तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। मध्याहन भोजन की व्यवस्था एवं क्रियान्वयन कैसा है, जिससे अध्यापन में बिना अवरोध के यह कार्यक्रम सुव्यवस्थित ढंग से चलता रहे। क्या इस योजना के अन्तर्गत दिये गये प्रावधान राज्य के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में समान रूप से कारगर है या भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार इसमें किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध प्रबंध में शोधकर्ता द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति



हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न भौगोलिक स्थिति में संचालित प्राथमिक शालाओं में मध्याहन भोजन योजना की आवश्यकता एवं शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन किया जायेगा। जिसका परिणाम मध्याहन भोजन कार्यक्रम की सफलता में सहायक सिद्ध होगी।

अध्ययन का शैक्षिक महत्व :-

भारत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए भारतीय संविधान की धारा 45 के अनुसार संसार के अन्य देशों के समान भारत ने भी बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है। सन् 1950 में संविधान सभा ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत घोषित किया। इसके अनुसार राज्य इस संविधान के कार्यान्वित किये जाने के समय से दस वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए जब तक चौदह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पद्धति पर आधारित होगी। यह शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होगी। भारतीय संविधान में घोषणा होने के बाद सभी राज्यों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा का आधुनिक महत्व है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुविधायुक्त एवं अनिवार्य बनाने के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं व अभियानों को लागू किया जाता है। जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा दिया जा सके।

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु शासन द्वारा सर्व शिक्षा अभियान को जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत प्राथमिक स्तर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याहन भोजन की व्यवस्था की गई है। जिसका लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के गरीब बालकों सहित सभी वर्ग के बच्चों को मिल सके और विद्यालयों में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या एवं ठहराव में वृद्धि हो। वर्तमान समय में मध्याहन भोजन योजना से सभी वर्गों के बच्चों को लाभ मिल रहा है। अतः इस प्रकार अध्ययन के शैक्षिक महत्व को स्पष्ट करता है।

अध्ययन का उद्देश्य :-

1. मध्याहन भोजन योजना से विद्यालयों में प्राथमिक कक्षा के छात्र-छात्राओं की प्रतिवर्ष शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
4. अध्ययन की परिकल्पना :-

1. मध्याहन भोजन योजना से विद्यालयों में प्राथमिक कक्षा के छात्र-छात्राओं की प्रतिवर्ष शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि पाई जायेगी।

अध्ययन का परिसीमन :-

1. प्रस्तुत शोध समस्या के अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का चयन किया गया है।
2. अध्ययन हेतु गरियाबांद एवं कांकेर जिले का चयन किया गया है।
3. अध्ययन हेतु गरियाबांद एवं कांकेर जिले के 30–30 शालाओं का चयन किया गया है।
4. प्रस्तुत शोध समस्या का अध्ययन भौगोलिक रूप से मैदानी क्षेत्र एवं वनांचल क्षेत्र के प्राथमिक शालाओं तक ही सीमित है।
5. प्रस्तुत शोध समस्या के अध्ययन हेतु शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया गया है।

अध्ययन में सम्मिलित चर :-

स्वतंत्र चर :- छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न भौगोलिक स्थिति में संचालित प्राथमिक शालाओं में मध्याहन भोजन योजना

परतंत्र चर :- आवश्यकता एवं शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन



शोध विधि :-

प्रस्तुत शोध प्रबंध के अध्ययन हेतु शोध विधि के रूप में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि (**Descriptive Survey Method**) का उपयोग किया गया है।

जनसंख्या :-

प्रस्तुत शोध प्रबंध में वनांचल एवं मैदानी क्षेत्रों में संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत् एवं कार्यरत संपूर्ण जनसंख्या के अतंगत छात्र-छात्राओं, शिक्षक, पालक, एवं संचालकों को लिया गया है।

न्यादर्श :-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श का चयन जनसंख्या के बड़े भू-भाग से किया गया है। प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं का चयन दैव-निर्दर्शन विधि द्वारा किया जायेगा। जिसमें 600 बच्चों को न्यादर्श के रूप में चयन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक शालाओं से 10-10 छात्र-छात्राओं, 2-2 शिक्षक, 2-2 संचालक एवं प्रधान पाठक एवं 4-4 पालकों चयन किया गया है।

उपकरण :-

प्रस्तुत शोध प्रबंध में प्रदत्तों के संकलन के लिये स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध प्रबंध में साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण स्वयं शोधकर्ता द्वारा किया गया। योजना के चार महत्वपूर्ण घटक छात्र, संचालनकर्ता, शिक्षक एवं पालक के लिये पृथक-पृथक साक्षात्कार अनुसूची का विधिवत निर्माण किया गया है।

सांख्यिकीय विश्लेषण :-

इसके लिए संकलित प्रदत्तों को सारणीकृत किया गया और प्रदत्तों द्वारा प्राप्त आंकड़ों का योग कर प्रतिशत निकाला गया है। इसके लिए संकलित प्रदत्तों को सारणीकृत किया गया और प्रदत्तों द्वारा प्राप्त आंकड़ों का योग कर प्रतिशत निकाला गया है।

सारणी क्रमांक 4.3

मध्याहन भोजन योजना से विद्यालयों में प्राथमिक कक्षा के छात्र-छात्राओं की प्रतिवर्ष शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित सारणी

क्रं.	कथन	गरियाबंद का मैदानी क्षेत्र		कांकेर का वनांचल / पहाड़ी क्षेत्र	
		हॉं की संख्या	हॉं का प्रतिशत	हॉं की संख्या	हॉं का प्रतिशत
1.	क्या आपके विद्यालय में मध्याहन भोजन बनाया जाता है?	30	100	30	100
2.	क्या विद्यालय में उपस्थित सभी बच्चे मध्याहन भोजन करते हैं?	25	83	30	100
3	क्या मध्याहन भोजन विद्यालय में महिला स्वसहायता समूह के द्वारा बनाया जाता है ?	30	100	30	100
4	क्या मध्याहन भोजन विद्यालय में सही समय पर बन जाता है ?	30	100	30	100
5	क्या मध्याहन भोजन का वितरण विद्यालय में सही समय पर होता है ?	30	100	30	100
6	क्या शिक्षक मध्याहन भोजन वितरण में सहयोग देते हैं ?	23	77	26	87



7	क्या सभी छात्र-छात्राएं निर्धारित समय में भोजन कर लेते हैं ?	26	87	30	100
8	क्या छात्र-छात्राओं को भोजन करने में समय अधिक लगता है ?	8	27	2	7
9	क्या भोजन करने के पश्चात् कक्षाएं नियमित लगती है ?	30	100	30	100
10	क्या विद्यालय में समय से पहले भोजन बनने पर छात्र-छात्राओं का ध्यान पढ़ाई में रहता है ?	4	13	13	43
11	क्या विद्यालय में भोजन करने के पश्चात् जल्दी छुट्टी हो जाती है?	0	0	0	0
12	क्या सभी छात्र-छात्राएं भोजन करने के पश्चात् विद्यालय में पढ़ाई करते है ?	30	100	30	100
13	क्या मध्याह्न भोजन प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक छात्रों के लिये आवश्यक है?	28	93	30	100
14	क्या मध्याह्न भोजन से लाभांवित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हुई है?	25	83	28	93
15	क्या मध्याह्न भोजन व्यवस्था से पालक संतुष्ट है ?	23	77	29	97
16	क्या मध्याह्न भोजन योजना से छात्रों में शैक्षिक रुचि में वृद्धि हो रही है?	15	50	24	80
17	क्या मध्याह्न भोजन के संचालन में पालक समिति/ शाला विकास समिति/ कक्ष समिति सहयोग प्रदान करती है?	16	53	3	10
18	क्या बच्चों को भोजन दिये जाने के पूर्व भोजन का परीक्षण आपके द्वारा चखकर किया जाता है?	30	100	30	100
19	क्या मध्याह्न भोजन से लाभांवित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हुई है?	25	83	28	93
20	क्या प्रतिवर्ष सभी छात्र-छात्राओं का परीक्षा परिणाम शतप्रतिशत रहता है?	28	93	29	97

व्याख्या :-

प्रस्तुत सारणी में परिकल्पना क्रमांक 3 के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन योजना से विद्यालयों में शिक्षकों के मत अनुसार विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि से संबंधित साक्षात्कार अनुसूचि में दिये प्रश्नों के उत्तर का वर्णन किया गया है। इसके लिए 60 शिक्षकों का चयन किया गया है एवं मार्गदर्शक की सहायता से स्वनिर्मित प्रश्नावली के अन्तर्गत दो खण्डों में कुल 32 प्रश्नों का विश्लेषण शिक्षकों के विचारों में कैसे उनके शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हेतु प्रयास किया जा सकता है का आंकलन किया गया है।

प्रश्न क्रमांक 1 क्या आपके विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाया जाता है?

इस प्रश्न के उत्तर में दोनों मैदानी एवं वनांचल/पहाड़ी क्षेत्रों के शत प्रतिशत शिक्षकों ने हाँ में उत्तर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि मध्याह्न भोजन योजना सभी शालाओं में संचालित हो रहा है।

प्रश्न क्रमांक 2 क्या विद्यालय में उपस्थित सभी बच्चे मध्याह्न भोजन करते हैं?



इस प्रश्न के उत्तर में गरियाबंद जिले अर्थात् मैदानी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 25 ने हाँ में उत्तर दिया है तथा 5 ने नहीं में उत्तर दिया है इसका अर्थ यह हुआ कि मैदानी क्षेत्र की शालाओं में बच्चे शाला तो आते हैं किंतु मध्याहन भोजन नहीं करते हैं। वहीं कांकेर जिला के वनांचल/पहाड़ी क्षेत्र के सभी 30 शिक्षकों अर्थात् शत प्रतिशत ने इस प्रश्न के उत्तर में हाँ में उत्तर दिया है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि वनांचल क्षेत्र के बच्चों के लिये मध्याहन भोजन आवश्यकता है।

प्रश्न क्रमांक 3 क्या मध्याहन भोजन विद्यालय में महिला स्वसहायता समूह के द्वारा बनाया जाता है ?

इस प्रश्न के उत्तर में गरियाबंद तथा कांकेर दोनों जिलों के शत प्रतिशत शिक्षकों ने हाँ में उत्तर दिया है। इससे यह स्पष्ट है कि यहाँ मध्याहन भोजन का संचालन शत प्रतिशत शालाओं में स्थानीय महिला स्व-सहायता समूहों के द्वारा किया जाता है और कहीं भी प्रधान पाठकों/शिक्षकों के द्वारा इसका संचालन नहीं किया जा रहा है। इससे शिक्षकों का योजना के संचालन में सलग्न होने की स्थिति में शैक्षणिक समय की कमी होने वाली बात नहीं है। योजना के संचालन से शिक्षकों/प्रधान पाठकों के पृथक् होने से शिक्षक अध्यापन कार्य में अधिक ध्यान दे पा रहे हैं। इससे बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होती है।

प्रश्न क्रमांक 4 क्या मध्याहन भोजन विद्यालय में सही समय पर बन जाता है ?

इस प्रश्न के उत्तर में दोनों मैदानी एवं वनांचल/पहाड़ी क्षेत्रों के शत प्रतिशत शिक्षकों ने हाँ में उत्तर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि मध्याहन भोजन सभी शालाओं में निर्धारित समय में बन जाता है और बच्चों को निर्धारित समय में भोजन मिल जाता है। उन्हें भूखे अध्ययन नहीं करना पड़ता है। इससे बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होगी।

प्रश्न क्रमांक 5 क्या मध्याहन भोजन का वितरण विद्यालय में सही समय पर होता है?

इस प्रश्न के उत्तर में मैदानी एवं वनांचल/पहाड़ी दोनों क्षेत्रों के शत प्रतिशत शिक्षकों ने हाँ में उत्तर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि मध्याहन भोजन सभी शालाओं में निर्धारित समय में बच्चों को वितरित हो जाता है और बच्चों को निर्धारित समय में भोजन मिल जाता है। इस प्रकार बच्चों का ध्यान भोजन की ओर नहीं जाता और निर्धारित समय पर भोजन करके अपने अध्ययन कार्य में लग जाते हैं इससे उनके शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होती है।

प्रश्न क्रमांक 6 क्या शिक्षक मध्याहन भोजन वितरण में सहयोग देते हैं ?

इस प्रश्न के उत्तर में गरियाबंद के मैदानी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 23 शिक्षकों अर्थात् 77 प्रतिशत ने हाँ में उत्तर दिया है और 7 शिक्षक अर्थात् 23 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। वहीं कांकेर के वनांचल/पहाड़ी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 26 शिक्षकों अर्थात् 87 प्रतिशत ने हाँ में उत्तर दिया है और 4 शिक्षक अर्थात् 13 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है।

इस प्रश्न के विश्लेषण से इस बात की पुष्टि होती है कि अधिकांश शालाओं में शिक्षकों एवं प्रधान पाठकों के द्वारा वितरण के समय मानिटरिंग एवं वितरण में सहयोग किया जाता है। मानिटरिंग से बच्चों को नियमित भरपेट एवं गुणवत्ता पूर्ण भोजन प्राप्त होना सुनिश्चित हो जाता है। इससे भोजन का दुरुपयोग भी नहीं होता।

प्रश्न क्रमांक 7 क्या सभी छात्र-छात्राएं निर्धारित समय में भोजन कर लेते हैं ?

इस प्रश्न के उत्तर में गरियाबंद के मैदानी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 26 शिक्षकों अर्थात् 87 प्रतिशत ने हाँ में उत्तर दिया है और 4 शिक्षक अर्थात् 13 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। वहीं कांकेर के वनांचल/पहाड़ी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से सभी 30 शिक्षकों अर्थात् शत प्रतिशत ने हाँ में उत्तर दिया है।

इस प्रश्न के उत्तर से यह सिद्ध होता है कि मैदानी क्षेत्र की कुछ शालाओं को छोड़कर सभी शालाओं में बच्चे निर्धारित समय में भोजन कर लेते हैं और इस योजना से बच्चों एवं शिक्षकों के अध्ययन-अध्यापन के समय में कोई कमी नहीं होती है। मैदानी क्षेत्र की शालाओं में बच्चों की संख्या अधिक



होने के कारण उनको परोसने एवं क्रमबद्ध बिठाने में अधिक समय लगने के कारण बच्चे निर्धारित समय में भोजन नहीं कर पाते होंगे। स्थान की कमी से भी बच्चों को कक्षावार पारी बनाकार भोजन कराया जाता है जिससे समय अधिक लगता है।

प्रश्न क्रमांक 8 क्या छात्र-छात्राओं को भोजन करने में समय अधिक लगता है ?

इस प्रश्न के उत्तर में गरियाबंद के मैदानी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 8 शिक्षकों अर्थात् 27 प्रतिशत ने हॉ में उत्तर दिया है और 22 शिक्षक अर्थात् 73 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। वहीं कांकेर के वनांचल/पहाड़ी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 2 शिक्षकों अर्थात् 7 प्रतिशत ने हॉ में उत्तर दिया है और 28 शिक्षक अर्थात् 93 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। यह प्रश्न इस साक्षात्कार अनुसूची के प्रश्न क्रमांक 7 में मिले उत्तर की पुष्टि करता है।

प्रश्न क्रमांक 9 क्या भोजन करने के पश्चात् कक्षाएं नियमित लगती है ?

इस प्रश्न के उत्तर में मैदानी एवं वनांचल/पहाड़ी दोनों क्षेत्रों के शत प्रतिशत शिक्षकों ने हां में उत्तर दिया। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि दीर्घ अवकाश में मध्याह्न भोजन के पश्चात् बच्चों का मन पढ़ने में लगता है और नियमित कक्षायें संचालित होती है। इससे विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होती है।

प्रश्न क्रमांक 10 क्या विद्यालय में समय से पहले भोजन बनने पर छात्र-छात्राओं का ध्यान पढ़ाई में रहता है ?

इस प्रश्न के उत्तर में गरियाबंद के मैदानी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 4 शिक्षकों अर्थात् 13 प्रतिशत ने हॉ में उत्तर दिया है और 26 शिक्षक अर्थात् 87 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। वहीं कांकेर के वनांचल/पहाड़ी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 13 शिक्षकों अर्थात् 43 प्रतिशत ने हॉ में उत्तर दिया है और 17 शिक्षक अर्थात् 57 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। इस प्रश्न के उत्तर से यह स्पष्ट है कि यदि विद्यालय में समय से पहले मध्याह्न भोजन बन जाता है तो अधिकांश बच्चों का ध्यान पढ़ाई में मन नहीं लगता और बच्चों का ध्यान भोजन पर रहता है। वनांचल क्षेत्र के बच्चों में यह कम परिलक्षित हो रहा है जबकि भोजन की अधिक आवश्यकता वहीं के विद्यार्थियों की होती है। इसमें यह हो सकता है कि वनांचल क्षेत्र के शिक्षकों में इस प्रश्न के उत्तर से अन्य अर्थ निकाला गया हो।

प्रश्न क्रमांक 11 क्या विद्यालय में भोजन करने के पश्चात् जल्दी छुट्टी हो जाती है?

इस प्रश्न के उत्तर में दोनों क्षेत्रों के शत प्रतिशत शिक्षकों ने नहीं में उत्तर दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि मध्याह्न भोजन के पश्चात् स्कूलों की जल्दी छुट्टी नहीं होती है।

प्रश्न क्रमांक 12 क्या सभी छात्र-छात्राएं की भोजन करने के पश्चात् विद्यालय में पढ़ाई करते हैं ?

इस प्रश्न के उत्तर में मैदानी एवं वनांचल/पहाड़ी दोनों क्षेत्रों के शत प्रतिशत शिक्षकों ने हां में उत्तर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि दीर्घविकाश में बच्चों के भोजन करने घर जाने के उपरांत शाला नहीं आने की आदत पर रोक लगी है। शाला में ही मध्याह्न भोजन मिलने के कारण बच्चे दीर्घविकाश में घर नहीं जाते हैं। इस प्रकार सभी बच्चे भोजन के पश्चात् विद्यालय में पढ़ाई करते हैं इससे इनके शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होती है।

प्रश्न क्रमांक 13 क्या मध्याह्न भोजन प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिये आवश्यक है?

इस प्रश्न के उत्तर में गरियाबंद के मैदानी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 28 शिक्षकों अर्थात् 93 प्रतिशत ने हॉ में उत्तर दिया है और 2 शिक्षक अर्थात् 7 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। वहीं कांकेर के वनांचल/पहाड़ी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 30 शिक्षकों अर्थात् शत प्रतिशत ने हॉ में उत्तर दिया है। मैदानी एवं वनांचल/पहाड़ी क्षेत्र के लगभग सभी शिक्षकों का यह मानना है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिये मध्याह्न भोजन आवश्यक है।



प्रश्न क्रमांक 14 क्या मध्याहन भोजन से लाभांवित छात्रों कीशैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हुई है?

इस प्रश्न के उत्तर में गरियाबंद के मैदानी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 25 शिक्षकों अर्थात् 83 प्रतिशत ने हॉ में उत्तर दिया है और 5 शिक्षक अर्थात् 17 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। वहीं कांकेर के वनांचल/पहाड़ी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 28 शिक्षकों अर्थात् 93 प्रतिशत ने हॉ में उत्तर दिया है और 2 शिक्षकों अर्थात् 7 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। इस प्रश्न के उत्तर में दोनों क्षेत्रों के अधिकांश शिक्षकों का मानना है कि मध्याहन भोजन योजना से बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हुई है। मैदानी क्षेत्र के 17 प्रतिशत तथा वनांचल क्षेत्र के 7 प्रतिशत शिक्षक ही इस बात से सहमत नहीं हैं। इसमें भी मैदानी क्षेत्र की तुलना में वनांचल क्षेत्र के कम शिक्षक ही इस बात से सहमत नहीं हैं कि मध्याहन भोजन योजना से शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हुई है।

प्रश्न क्रमांक 15 क्या मध्याहन भोजन व्यवस्था से पालक संतुष्ट है ?

इस प्रश्न के उत्तर में गरियाबंद के मैदानी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 23 शिक्षकों अर्थात् 77 प्रतिशत ने हॉ में उत्तर दिया है और 7 शिक्षक अर्थात् 23 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। वहीं कांकेर के वनांचल/पहाड़ी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 29 शिक्षकों अर्थात् 97 प्रतिशत ने हॉ में उत्तर दिया है और केवल 1 शिक्षक अर्थात् 3 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। दोनों क्षेत्रों के अधिकांश शिक्षकों का मानना है कि पालक इस योजना से संतुष्ट है। शिक्षकों के अनुसार वनांचल क्षेत्र के लगभग सभी पालक इस योजना से संतुष्ट हैं। जबकि मैदानी क्षेत्र के शिक्षकों का मानना है कि 23 प्रतिशत पालक इस योजना से संतुष्ट नहीं हैं। इसका कारण उनकी यह अपेक्षा हो कि बच्चों को और अच्छा भोजन बच्चों को शाला में दिया जाना चाहिये।

प्रश्न क्रमांक 16 क्या मध्याहन भोजन योजना से छात्रों में शैक्षिक रुचि में वृद्धि हो रही है?

इस प्रश्न के उत्तर में गरियाबंद के मैदानी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 15 शिक्षकों अर्थात् 50 प्रतिशत ने हॉ में उत्तर दिया है और 15 शिक्षक अर्थात् 50 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। वहीं कांकेर के वनांचल/पहाड़ी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 24 शिक्षकों अर्थात् 80 प्रतिशत ने हॉ में उत्तर दिया है और 6 शिक्षकों अर्थात् 20 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है।

मैदानी क्षेत्र के 50 प्रतिशत शिक्षकों का मानना है कि मध्याहन भोजन योजना से बच्चों की शैक्षिक रुचि में वृद्धि हो रही है वहीं 50 प्रतिशत शिक्षक इस बात से सहमत नहीं हैं। जबकि वनांचल क्षेत्र के 80 प्रतिशत शिक्षकों का मानना है कि मध्याहन भोजन योजना से बच्चों की शैक्षिक रुचि में वृद्धि हो रही है वहीं केवल 20 प्रतिशत शिक्षकों का इस बात से सहमत नहीं है। इस प्रकार यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वनांचल क्षेत्र में मध्याहन भोजन योजना से छात्रों की शैक्षिक रुचि में वृद्धि हुई है।

प्रश्न क्रमांक 17 क्या मध्याहन भोजन के संचालन में पालक समिति/शाला विकास समिति/कक्ष समिति सहयोग प्रदान करती है?

इस प्रश्न के उत्तर में गरियाबंद के मैदानी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 16 शिक्षकों अर्थात् 53 प्रतिशत ने हॉ में उत्तर दिया है और 14 शिक्षक अर्थात् 47 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। वहीं कांकेर के वनांचल/पहाड़ी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से केवल 03 शिक्षकों अर्थात् 10 प्रतिशत ने हॉ में उत्तर दिया है और 6 शिक्षकों अर्थात् 20 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है।

इस प्रश्न के उत्तर का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि अभी भी शासन की योजनाओं के प्रति जन सहयोग का अभाव है। मैदानी क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत शालाओं में गठित समितियों का योजना के संचालन में सहयोग मिल रहा है किंतु वनांचल क्षेत्र में यह मात्र 10 प्रतिशत ही है। इससे यह स्पष्ट है कि शालाओं में गठित समितियां सक्रिय नहीं हैं। किसी भी शासकीय योजना को पूर्ण सफल बनाने के लिये



संबंधित जनता का सक्रिय योगदान आवश्यक है। अतः इस योजना को और अधिक कारगर और सफल बनाने के लिये पालकों एवं जनप्रतिनिधियों को जागरूक करना आवश्यक है।

प्रश्न क्रमांक 18 क्या बच्चों को भोजन दिये जाने के पूर्व भोजन का परीक्षण आपके द्वारा चखकर किया जाता है?

इस प्रश्न के उत्तर में मैदानी तथा वनांचल दोनों क्षेत्र के शत प्रतिशत शिक्षकों ने हाँ में उत्तर दिया है।

इससे यह स्पष्ट है कि शिक्षक मध्याहन भोजन योजना के संचालन के प्रति गंभीर है और शासन के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बच्चों को गुणवत्तायुक्त एवं स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो रहा है।

प्रश्न क्रमांक 19 क्या मध्याहन भोजन से लाभांवित छात्रों कीशैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हुई है?

इस प्रश्न के उत्तर में गरियाबंद के मैदानी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 25 शिक्षकों अर्थात् 83 प्रतिशत ने हाँ में उत्तर दिया है और 05 शिक्षक अर्थात् 17 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। वहीं कांकेर के वनांचल/पहाड़ी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 28 शिक्षकों अर्थात् 93 प्रतिशत ने हाँ में उत्तर दिया है और 2 शिक्षकों अर्थात् 7 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है।

इस प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट होता है कि अधिकांश शिक्षकों का मानना है कि मध्याहन भोजन योजना से लाभांवित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हुई है। मैदानी क्षेत्र के 83 प्रतिशत शिक्षक इस बात से सहमत हैं कि मध्याहन भोजन योजना से बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हुई है किंतु 17 प्रतिशत इस बात से सहमत नहीं है। वहीं वनांचल क्षेत्र के 93 प्रतिशत शिक्षक इस बात से सहमत हैं और केवल 7 प्रतिशत ही इससे सहमत नहीं हैं।

प्रश्न क्रमांक 20 क्या प्रतिवर्ष सभी छात्र-छात्राओं का परीक्षा परिणाम शतप्रतिशत रहता है?

इस प्रश्न के उत्तर में गरियाबंद के मैदानी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 28 शिक्षकों अर्थात् 93 प्रतिशत ने हाँ में उत्तर दिया है और 02 शिक्षक अर्थात् 7 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। वहीं कांकेर के वनांचल/पहाड़ी क्षेत्र के 30 शिक्षकों में से 29 शिक्षकों अर्थात् 97 प्रतिशत ने हाँ में उत्तर दिया है और 1 शिक्षक अर्थात् 3 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। शिक्षकों के उत्तर से स्पष्ट हैं अधिकांश शालाओं में बच्चों का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहता है प्राथमिक कक्षा में कोई परीक्षा नहीं ली जाती है उनका आंकलन कर आगे की कक्षा में प्रोन्नत किया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को किसी कक्षा में रोका नहीं जाना है यदि बच्चे अपने कक्षा के न्यूनतम स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उनकी अतिरिक्त कक्षाये लगाकर बच्चे को उस स्तर तक लाया जाना है। इस प्रकार किसी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाना है। मैदानी तथा वनांचल दोनों क्षेत्र के लगभग सभी शिक्षकों ने माना है कि शालाओं में दिया जाने वाला मध्याहन भोजन का समय ग्रामीण परिवेश के आधार पर सही है।

इस प्रकार शिक्षकों के साक्षात्कार अनुसूची के उत्तर के विश्लेषण से यह परिकल्पना "मध्याहन भोजन योजना से विद्यालयों में प्राथमिक कक्षा के छात्र-छात्राओं की प्रतिवर्ष शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि पाई जायेगी।" की पुष्टि होती है।

निष्कर्ष :-

परिकल्पना के अन्तर्गत मध्याहन भोजन योजना से विद्यालयों में शिक्षकों के मत अनुसार विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि से संबंधित विवरण का वर्णन किया गया है। इसके लिए 60 शिक्षकों का चयन किया गया है एवं मार्गदर्शक की सहायता से स्वनिर्मित प्रश्नावली के अन्तर्गत कुल 32 प्रश्नों का विश्लेषण शिक्षकों के विचारों में कैसे उनके शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हेतु प्रयास किया जा सकता है का आंकलन किया गया है। शिक्षकों की दृष्टि में मध्याहन भोजन कार्यक्रम से छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित



होती है के प्रश्नों का अवलोकन करने पर प्राप्त निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि उनके उपर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। छात्र मध्याह्न भोजन से पूरे शालेय अवधि में उर्जावान बने रहते हैं जिससे उनका पढ़ाई में मन लगा रहता है। इससे सीखने की गतिविधि में सहायता मिलती है और छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होती है।

सुझाव :-

3. 1 से 25 छात्र के लिये सर्वाधिक कुकिंग कास्ट, 26 से 100 तक के लिये मध्यम कुकिंग कास्ट और 100 से अधिक के लिये कम कुकिंग कास्ट निर्धारित की जानी चाहिये।
4. मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिये जिन सामग्रियों की केन्द्रीकृत आपूर्ति संभव है उसे संचालनकर्ता समूहों को सीधे उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
5. योजना के निरीक्षण की आवृत्ति में वृद्धि की जानी चाहिये।
6. संचालनकर्ता एजेंसी के सदस्यों के द्वारा उपयोग में लाये जा रहे खाद्य सामग्री का समय—समय पर गुणवत्ता परीक्षण किया जाना चाहिये।
7. छात्र—छात्रों के लिए विद्यालय में भोजन करने के लिए बर्तन एवं बर्तन की सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए।
8. मध्याह्न भोजन स्वयं करके देखना चाहिए और उसकी गुणवत्ता की जांच करके आवश्यक निर्देश संचालनकर्ता एवं रसोईयों को देनी चाहिए।
9. मध्याह्न भोजन करने वाले छात्र—छात्रों के लिए शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करनी चाहिए।
10. शिक्षकों को मध्याह्न भोजन मीनू चार्ट के अनुसार प्रदान दिया जा रहा है कि नहीं इसका निरीक्षण कर अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए।
11. शिक्षकों को बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन करना चाहिए। जिससे उनमें भोजन के प्रति कोई अविश्वास न रहे।
12. शिक्षकों को बच्चों से यह पूछा जाना चाहिए कि वे इस भोजन से संतुष्ट हैं कि नहीं। यह जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए।
13. बच्चों में शाला त्यागने की प्रवृत्ति कम हो इसका पालकों को ध्यान रखना चाहिए।
14. मध्याह्न भोजन की मात्रा कम न हो इसका ध्यान पालकों को देना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भटनागर, (1973) “अनुसंधान परिचय” आगरा लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, पृष्ठ संख्या 62–90
2. पाण्डेय रामशकल (1987) “शिक्षा दर्शन” आगरा विनोद पुस्तक मंदिर, तेर्झसवां संस्करण – पृष्ठ संख्या 25–30
3. कपिल डॉ. एच.के. (1992–93) – “अनुसंधान विधियाँ” आगरा भार्गव बुक हाउस, सप्तम संस्करण, पृष्ठ संख्या 38–40, 71–75
4. भार्गव महेश (1992–93) “मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन” आगरा शैक्षणिक प्रकाशन पृष्ठ संख्या 45–46
5. ड्रेज, जीन तथा गीता गाँधी किंगडम; (2001) “स्कूल पार्टीसिपेशन इन रूरल इंडिया रिजू आफ डेवलपमेंट इकानामिक्स”।
6. खेड़ा रीतिका; (2002) – “मिड – डे – मील्स इन राजस्थान, द हिन्दु नवम्बर”
7. सरीन एण्ड सरीन; (2003) “शैक्षिक अनुसंधान विधियाँ” पृ. संख्या–23.
8. राय, पारसनाथ, (2004) “अनुसंधान परिचय” पृष्ठ संख्या 45–46
9. पाठक, पी.डी., (2005) शिक्षा मनोविज्ञान, पृष्ठ संख्या 25–35



नई राष्ट्रीय जल नीति - एक जरूरत

Asstt.Prof. Firoj Pyara Sahala

Nehru Mahavidyalaya, Nerparsopant Dist. Yavatmal

सारांश :- जल मनुष्य की, मनुष्य समाज की आधारभूत आवश्यकता है। जल के बिना मानव जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। जीवन के सभी अत्यावश्यक क्षेत्रोंको जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जीवन में जल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। हमें जल संसाधन का समुचित प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है। इस कारण वंस भारत सरकारने नई राष्ट्रीय जल नीति देशमें लागू लिया ताकि जनता जल की सही उपयोग करे और जलकी बचत करे, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में मीठे जल की कुल उपलब्धता लगभग २.७ % ही है इसलिये सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सतही जल निकायों के प्रबंधन पर जोर देना होगा। हमें जल चक्र के गुणात्मक एवं मात्रात्मक बदलाव को रोकना होगा। ताकि मनुष्य जीवन से जुड़े हुए प्रत्येक क्षेत्रों का जल जरूरत पूरी हो सके। यदि उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम प्रबंधन करने के प्रयत्न संभव नहीं हुए तो जल के भयंकर चुनौतियां सामने आ सकती हैं। जल प्रबंधन के प्रति लोगों जागरूकता होना आवश्यक है।

संकेताक्षर :- जल प्रावधान, जल की आवश्यकता, उपयोग, जल प्रबंधन, जल योजना, परिष्ठितिकी तंत्र

प्रस्तावना :-

“जल हि जीवन है जल के बिना सब अधूरा है” जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो मानव जीवन के लिये और अन्य जिव सृष्टि के लिये बेहद जरूरी है। साथ ही साथ अन्य क्षेत्रोंमें भी जल की आवश्यकता होती है जैसे की सिंचाई, औद्योगिक, विज निर्माण, वानिकी, जैव विविधता कार्यों के लिए। इसलिए जल का सही उपयोग होना महत्व पूर्ण है। नई राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तयार करने के लिये जलशक्ति मंत्रालय द्वारा एक समीति का गठन किया गया था! समीति को इस मसौदे पर विभिन्न हितधारकों द्वारा अनेक सुझाव प्राप्त हुए ! भारत में संसार की १८% से अधिक आबादी है जबकि विश्वका केवल ४% नवीकरणीय जल संसाधन और विश्व के भू क्षेत्र २.४% भू क्षेत्र है। भारत भू – विस्तार के सूचि में दूसरा नंबर पर आता है, भारत ऐसा देश है जिसके पास जल संपत्ति और भू-संपत्ति प्राप्त देश है। देश के किसी न किसी क्षेत्रों को बाढ़ और सूखे की चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। भारतीय समाज में जल की कमी तथा उसके जीवन रक्षक और आर्थिक महत्व के विषय में जागरूकता की कमी होने का कारण जल का कुप्रबंधन, जल बर्बादी और अकुशल वापर होता है। जल बचाने और सही उपयोगों के लिए योग्य प्रबंधन की जरूरत होती है। राष्ट्रीय जल नीति का उद्देश मौजूदा स्थितिका, नियमों और संस्थाओं की प्रणाली के सृजन और समरूप राष्ट्रीय परिपेक्ष्य समेत कार्य योजना हेतु रखना है। आज देश के अनेक राज्यों ने अपने राज्यों जल संपत्ति बचाने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न पेयजल योजनाओं की अम्बल्बजवानी भी की है।

नई राष्ट्रीय जल नीति की आवश्यकता :-

- भारत की पहली जल नीति वर्ष १९८७ में आई थी। जिसे वर्ष २००२ में ओर उसके बाद २०१२ में अंतिम रूप से संशोधन किया गया था। तब से वर्तमान परिस्थितियों परिवर्तन होते दिखाई दिया है।
- बदलाव को देखते हुए जल के उपयोग की प्राथमिकता को परिभाषित करने की पुनः आवश्यकता है।
- पुरानी जल नीति जल की मांग और आपूर्ति से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में सक्षम नहीं थी।



- भारत में लगभग ९०% जल की खपत सिंचाई कार्यों में होती है, जिसमें से अधिकांश जल का उपयोग चावल, गेहूँ, गन्ना और अन्य फसलों में होता है।
- जल के प्रवाह को नियंत्रित करने एंव ट्रक करने के लिए सेंसर, भौगोलिक सुचना प्रणाली (GIS) ओर नई तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है।
- साथ ही बजट को तरह से बनाने की आवश्यकता है कि यह बेसिन से उप बेसिन तक जल के सभी स्तरों को कवर करे।
- जल वायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने, अत्यधिक वर्षा, ग्रीष्मकाल के दौरान जल की कमी, नदिया सुख जाना, जल गुणवत्ता ओर प्रदूषण जैसी समस्या ओं से निपटने के लिए भी जल नीति की आवश्यकता है।

नई राष्ट्रीय जल नीति के मुख्य प्रावधान :-

- भारत में अधिकाधिक जल का उपयोग कृषि कार्यों में होता है। इस नीति के तहत फसल -विविधीकरण के माध्यम से भारत में जल संकट की समस्या से निपटने पर बल दिया गया है।
- सार्वजनिक खरीद कार्यों में विविधता लेन का सुझाव दिया गया है, जो किसानों अपने फसल पैटर्न में विविधता लेन में प्रोत्साहित करेगा, जिससे जल की बचत होगी।
- नई नीति “प्रकृति आधारित समाधान” जैसा की जल ग्रहण क्षेत्रों के कायाकल्प के माध्यम से जल की आपूर्ति पर विशेष बल देती है।
- प्रस्तावित नीति लगातार बढ़ती जल आपूर्ति की सीमाओं की पहचान करती है और मांग प्रबंधन की और बदलाव का प्रस्ताव करती है।
- नई नीति आपूर्ति पक्ष पर बल देते हुए बड़े बाँधों में संग्रहित जल की पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (Supervisory Control and Data Acquisition-SCADA) तंत्र तथा सुक्ष्म सिंचाई के संयोजन से दबावयुक्त बंद परिवहन पाइपलाईन का उपयोग कर बहुत कम लागत पर सिंचित क्षेत्र का विस्तार करने का सुझाव देती है।
- NWP नदी संरक्षण और पुनरोधार को प्राथमिक महत्व देती है।
- नीति सीवेज उपचार के लिए अत्याधुनिक, कम लागत, कम उर्जा व् पर्यावरण के प्रति संवेदनशील प्रोद्योगिकियों को अपनाने की वकालत करती है।
- जल नीति नदियों के अधिकार अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करती है, जिसमें उनके प्रवाह के साथ ही समुद्र में विलीन होने तक का अधिकार शामिल है।
- नई जल नीति वर्तमान में भारत में जल की गुणवत्ता के अनसुलझे मुद्दे को सबसे गंभीर मानती है। यह प्रस्ताव करती है कि केंद्र और प्रत्येक राज्यों के जल मंत्रालय में एक जल गुणवत्ता विभाग का प्रावधान किया जाए।
- यह नीति उभरते हुए जल संदुस्कोपर एक टास्क फोर्स का सुझाव देता है। ताकि वे उन खतरों को बेहतर ढंग से समजकर उनसे निपट सके जिनसे जल संदूषक उत्पन्न हो सकते हैं।
- नीति का मानना है कि विपरित परासरण के व्यापक उपयोग से जल बर्बादी के साथ ही जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यदि किसी भी क्षेत्र के भूमिगत जल में की TDS मात्रा 500mg/L से कम है तो ऐसे क्षेत्रों में आर.ओ इकाइयों को हस्तोत्साहीत किये जाने का सुझाव दिया है।



■ नई जल नीति बहु - हितधारक राष्ट्रीय जल आयोग के निर्माण का सुझाव देती है। इसलिए यह आयोग राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सकता है।

निष्कर्ष :-

भारत के जल संकट को हल करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में जल वितरण के लिए संपूर्ण जल तंत्र को समजने के लिए बहु विषयक टीमों को तैनात करने और अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। साथ ही साथ सही उपचारात्मक योजनाओं की भी जरूरत है। साथ ही जल बर्बादी को रोककर उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। पर्यावरणीय प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। अन्यथा हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जल संकट के उत्पन्न त्रासदी के जिम्मेदार सिद्ध होंगे।

संदर्भ:-

१. रिपोर्ट ऑफ भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय २०१२
२. न्यूज़ आर्टिकल १ नवम्बर २०२१
३. योजना (मराठी मसिक) जुलाई २०१६
४. दिवाण विजय: जल के अनिवार्य अधिग्रहण की कहानी पर लेख
५. www.cwc.gov.in
६. योजना डीसेंबर २०२१



शिवधर्म चळवळ आणि धार्मिक सण उत्सवातील परिवर्तन

संशोधक

प्रा. डॉ. राजकुमार बिरादार

सरदार पटेल महाविद्यालय, चंद्रपूर

rajkumarbiradar2015.rb@gmail.com

सारांश:

मराठा सेवा संघाच्या माध्यमातून समतावादी समान संधी देणाऱ्या धर्माचे पुनरज्जीवन करण्याचा प्रयत्न प्रकटन चळवळीच्या माध्यमातून सुरु झाला. धर्माचे स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी १२ जानेवारी २०१४ रोजी शिवधर्मपीठ सिंदखेडराजा येथे शिवधर्म संसदेच्या कडून आपल्या अनुयायांना 'शिवधर्म गाथा' देण्यात आली. अल्प कालावधीतच या प्रकटन चळवळीचा प्रसार भारतात झाला असून या चळवळीमुळे समाज व्यवस्थेत अमुलाग्र परिवर्तन घडून आले. प्रस्तुत शोध कार्यात शिवधर्म चळवळीमुळे झालेल्या धार्मिक सण-उत्सवातील परिवर्तनाचा अभ्यास करण्यात आला. शिवधर्म विचारसरणीला मानणाऱ्या समूहामध्ये संगठन निर्माण करण्यासाठी, मनोरंजन करण्यासाठी, एकता व कलेचे प्रदर्शन करणे इत्यादी उद्देशाने प्रेरित होऊन गुढीपाडवा, वटपौर्णिमा, पोळा, नागपंचमी, रक्षाबंधन, दसरा, दिवाळी, तुळशीचे लग्न, मकरसंक्रात इत्यादी सण परंपरागत पद्धतीने न करता शिवधर्म गाथेत दिलेल्या नवीन पर्यायाचा उपयोग करून साजरे करतात.

महत्वाच्या संकल्पना: गुढीपाडवा, वटपौर्णिमा, पोळा, रक्षाबंधन, दसरा, दिवाळी, मकरसंक्रात, होळी

प्रस्तावना:

धार्मिक सण-उत्सव ही बाब समाज व्यवस्थेतील धर्मव्यवस्थेशी संबंधित आहे. धर्म हा समाज संरचनेचा महत्वाचा घटक आहे. समाजामध्ये निर्माण झालेल्या श्रद्धेचा, धार्मिक भावनेचा उपयोग समाजाच्या कल्याणासाठी करण्याच्या उद्देशाने अनेक धर्म उदयास आले. त्याबरोबर प्रत्येक धर्माचे वेगवेगळे तत्त्वज्ञान निर्माण झाले. धर्मातील लोकांना तत्त्वज्ञान न पटल्याने काही लोकांनी एकत्र येऊन प्रचलित धार्मिक तत्त्वज्ञानाला विरोध केला. त्यातूनच प्रत्येक धर्मात वेगवेगळे पंथ निर्माण झाले तर काहींनी मूळ धर्माचे प्रकटन केले.

मा. पुरुषोत्तम खेडेकर यांच्या नेतृत्वात मराठा व बहुजन समाजाचा सर्वांगीण विकास, अज्ञान, अंधश्रद्धा व धार्मिक गुलामगिरी यापासून बहुजनाची मुक्तता करण्याचे ध्येय समोर ठेवून १ सप्टेंबर १९९० रोजी मराठा सेवा संघाची स्थापना केली. संघाच्या कार्याचे ३९ कक्षामध्ये विभाजन केले आहे. मराठा सेवा संघाच्या १ सप्टेंबर १९९१ ला आयोजित पाहिल्या अधिवेशनामध्ये मराठा व बहुजन समाजाला समस्यापासून मुक्त करण्यासाठी शिक्षणसत्ता, अर्थसत्ता, धर्मसत्ता, राजसत्ता, आणि प्रचार-प्रसार माध्यम सत्ता ही 'पंचसूत्री' ताव्यात घेण्याचे ठरविले. प्रस्तुत संशोधनाचा विषय पंचसूत्रीतील धर्मसत्तेशी संबंधित असून त्यासाठी 'जिजाऊसृष्टी व शिवधर्म पीठ' या कक्षा कडून कार्याला सुरवात झाली.

प्राचीन काळात समतावादी व सर्वाना विकासाची समान संधी देणारा मुलनिवासीचा शिवधर्म प्रचलित होता. आर्यांनी या शिवधर्माचे वैदिकीकरण केले. वैदिकीकरण म्हणजे मुलनिवासिच्या मूळ धर्माचे धर्मतत्व बाजूला करून वैदिकांनी स्वतःचे तत्त्वज्ञान मिश्रित करून मूळ धर्म ताव्यात घेतला. वर्तमान स्थितीत मराठा सेवा संघाच्या माध्यमातून समतावादी समान संधी देणाऱ्या धर्माचे पुनरज्जीवन करण्याचा प्रयत्न प्रकटन चळवळीच्या माध्यमातून सुरु झाला. धर्माचे स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी १२ जानेवारी २०१४ रोजी शिवधर्मपीठ सिंदखेडराजा येथे शिवधर्म संसदेच्या कडून आपल्या अनुयायांना 'शिवधर्म गाथा' देण्यात आली. अल्प कालावधीतच या प्रकटन चळवळीचा प्रसार भारतात झाला असून या चळवळीमुळे समाज व्यवस्थेत अमुलाग्र परिवर्तन घडून आले.

संशोधनाची उद्दिष्ट्ये:

शिवधर्म चळवळीमुळे झालेल्या धार्मिक सण-उत्सवातील परिवर्तनाचे अध्ययन करणे.

संशोधन पद्धती:

संशोधनासाठी प्राथमिक व विद्तीयक दोन्ही प्रकारच्या तथ्याचा उपयोग करण्यात आला. प्राथमिक तथ्य गोळा करण्यासाठी मुलाखत-अनुसूची व निरीक्षण तंत्राचा उपयोग करण्यात आला. प्रस्तुत संशोधन कार्यासाठी उद्देशपूर्ण नमुना निवड तंत्राचा



उपयोग करण्यात आला. 'विदर्भ क्षेत्र' या अध्ययन समग्रात येणाऱ्या प्रत्येक जिल्ह्यातील शिवधर्म प्रकटन चळवळीचा प्रभाव असणाऱ्या एका तालुक्यातून प्रत्येकी ४० याप्रमाणे एकूण ४४० एककाचा नमुना म्हणून निवड करून तथ्यसंकलन करण्यात आले. तसेच व्हितीयक तथ्यासाठी ग्रंथ, संशोधन अहवाल, वैयक्तिक लेख, जनगणना अहवाल, वर्तमान पत्रे, साप्ताहिके, मासिके इत्यादी स्ट्रोताचा उपयोग करण्यात आला.

तथ्याचे विश्लेषणात्मक निर्वचन:

धर्माचे संरक्षण करण्यासाठी, संगठन निर्माण करण्यासाठी, एकता वाढविण्यासाठी, कलाकाराच्या कलेच्या प्रदर्शनासाठी, मनोरंजनासाठी, आर्थिक उलाढाल वाढविण्यासाठी सण उत्सवाची गरज आहे. याच उद्देशानी सण उत्सवाचा प्रारंभ झाला आहे. प्रत्येक सण आणि उत्सवामागे धर्म, संस्कृती, इतिहास व भूगोल यासारखे अनेक घटक असतात. काही सण उत्सव हे वर्षभरात एकदाच येतात तर काही अनेक वेळेस येतात. सण उत्सव हे जात, धर्म, कुळ व जमात यानुसार वेगवेगळे असतात. काही सण हे धार्मिक असतात, तर काही धर्मनिरपेक्ष असतात. वैदिक हिंदू धर्मामध्ये गुढीपाडवा, वटपौर्णिमा, पोळा, नागपंचमी, रक्षाबंधन, दसरा, दिवाळी, तुळशीचे लग्न, मकरसंक्रात व होळी इत्यादी धार्मिक बाजू असणारे सण साजरे करतात. प्रत्येक सण साजरा करण्यामागे पार्श्वभूमी सुध्दा असते. परंतु शिवधर्माने सणामागील जुन्या पार्श्वभूमीला विरोध केले कारण "काही सण शोषकांनी आपले हितसंबंध जपण्यासाठी सुरु केलेले असतात. असे सण नाकारायलाच हवेत. काही सणाच्या स्वरूपात काळाच्या ओघात काही अनिष्ट घटकाचा प्रवेश झालेला असतो. सणांमधील असे अनिष्ट घटक कमी करावेत अशी शिवधर्माची भूमिका आहे. अशा सणांमध्ये असलेले अनिष्ट घटक वगळून आणि त्या सणांच्या बाकीच्या भागाला नव्याने एक विधायक स्वरूप देऊन असे सण साजरे करणे गैर नव्हे अशीही शिवधर्माची धारणा आहे."⁹ सणाला दिलेल्या विधायक स्वरूपाचे विवेचन खालीलप्रमाणे करण्यात आले.

गुढीपाडवा: नवीन वर्षाच्या स्वागताचा, आनंदोत्सव साजरा करण्याची कृषी परंपरा आहे. गुढी उभारणे किंवा उभारू नये याचे स्वातंत्र्य शिवधर्माने प्रत्येकाला दिले.

वटपौर्णिमा: हा सण पती—पत्नी दोघांनीही साजरा करावा. शक्य असल्यास अन्य व्यक्तीलाही सहभागी करून घ्यावे. निसर्गोत्सव म्हणून साजरा करावा. त्याला फक्त वडाच्या झाडापुरतेच मर्यादित ठेवू नये. निसर्गाला समजून घ्यावे, शक्य असेल तर झाड लावावे किंवा जुन्या झाडाच्या संरक्षणासाठी कार्य करावे.

पोळा: हा सण साजरा करण्यामागचे धार्मिक कारण बाजूला सारून त्या दिवशी बैलाला विश्रांती घ्यावे. निगा राखणे, वैद्यकीय तपासणी करून घेणे, गरजेनुसार उपचार करणे, रसायन मिश्रीत रंग लावणे टाळणे, या दिवशी प्राणी, शेती याबाबतीत उपक्रम राबवावे अशी शिवधर्माची भूमिका आहे.

नागपंचमी: पर्यावरण व मानव या दृष्टिकोनातून सापाचे महत्व सांगावे. मुलांना सापांविषयी माहिती सांगावे. विषारी व बिनविषारी सापातील फरक सांगावा. सापापासून बचाव करून घेण्यासाठी कोणती काळजी घ्यावी हे सांगावे. सापाचा दंश झाल्यानंतर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. महिलांना एकत्रित येऊन भावभावनाची अभिव्यक्ती, सहभाग, ताणतणावापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी मनोरंजन, खेळ इत्यादीशी संबंधित उपक्रम राबवावे.

रक्षाबंधन: हा सण साजरा करताना बहिणीने—भावाला व भावाने बहिणीला राखी बांधावी. तसे बहिणी—बहिणींना एकमेकांना तसेच भावा—भावांनी देखील एकमेकांना राखी बांधावी. चुलत, मावस व मानलेल्या भाऊ—बहिणींनी एकमेकांना राखी बांधावी. अशी शिवधर्माची भूमिका आहे.

दसरा: हा उत्सव कृषी संस्कृतीचे दर्शन घडविणारा सण आहे. शेतीचा शोध स्त्रियांनी लावला. त्या क्षणाचे स्मरण म्हणून दरवर्षी हा सण (घटस्थापना) साजरा करावा. या दिवशी नवनिर्मितीचा संकल्प, त्या दिशेने यशस्वी होण्यासाठी योग्य ते उपक्रम राबवावेत. शेतकऱ्याचा आदर सत्कार, महिलांचा आदर सत्कार करावे. निश्चिती ते सावित्रीबाई फुले पर्यंतच्या सर्वच स्त्रियाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करावे. निरक्षरता, निर्धनता, विषमता, शोषण, गुलामगिरी इत्यादीवर विजय मिळविणे या अर्थाने दसरा हा सण साजरा करावा. याच्याशी संबंधित विविध उपक्रमाचे आयोजन करणे यालाच सिमोलंघन समजण्यात आले.

दिवाळी: शरद ऋतूचा काळ हा शेतकऱ्याचा म्हणजेच बळीराजाचा भरभरटीचा व आनंदाचा काळ असतो म्हणून असा आनंदाचा उत्सव साजरा करतात. 'वसुबारस' या दिवशी गाय आणि वासरू याची पूजा का करतात? 'धनत्रयोदशी' दिवशी धनाची पूजा का



करतात? 'नरक चतुर्दशी' च्या इतिहासाची मांडणी, लक्ष्मी पूजन हे मुळचे 'निश्चतीपूजन' होय व भाऊबीज इत्यादी बाबतीत शिवधर्माच्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण शिवधर्म गाथेत केले आहे.

तुळशीचे लग्न: तुळशीचे लग्न या सणाला शिवधर्मानी निंद्य मानले असून तो सण साजरा करणे अमान्य समजले आहे.

मकरसंक्रात: सूर्याच्या उत्तरायणामुळे प्रकाश वाढतो व अंधार कमी होतो. या धारणेला अनुसरून जुन्या धारणा बाजूला सारून हा सण मैत्री, सद्भावना हे प्रकाशाचे व शत्रुत्व, दुर्भावना, वैर, अबोला इत्यादी अंधाराचे प्रतीक समजून तिळगुळ वाटून एकमेकांमध्ये संवाद वाढवावा अशी शिवधर्माची भूमिका आहे.

होळी: शिवधर्माने होळीबदलच्या होलीकेविषयीच्या कपोलकलिपत कथा नाकारल्या आहेत. त्या दिवशी पृथ्वी, होळी आणि निश्चती यांना एकरूप मानून पूजा करावी. दुसऱ्या दिवशी होळीच्या दिवशी मावळत्या वर्षाला निरोप दिला जातो व नवीन वर्षाच्या स्वागताची पूर्वतयारी म्हणून रंगपंचमीचा सण साजरा करावे अशी शिवधर्माची भूमिका आहे.

प्रस्तुत संशोधनामध्ये शिवधर्मीय अनुयायी गुढीपाडवा, वटपोर्णिमा, नागपंचमी, रक्षाबंधन, पोळा, दसरा, दिवाळी, तुळशीचे लग्न, मकरसंक्रात व होळी इत्यादी सण साजरे करताना शिवधर्मीय तत्वज्ञानाच्या भूमिकेचा अंगीकार करण्याविषयीच्या वास्तविकतेचे अध्ययन करण्यात आले.

सारणी

शिवधर्मानुसार सण—उत्सव साजरे करण्याविषयीचे प्रमाण

अ.क्र.	प्रतिसादाचे स्वरूप	प्रतिसादकाची संख्या	शेकडा प्रमाण
१	शिवधर्मानुसार	४३९	९८%
२	परंपरागत पद्धतीनुसार	०९	०२%
३	यापैकी नाही	००	०० %
	एकूण	४४०	१००%

(स्रोत: मुलाखत अनुसूची)

वरील सारणीमध्ये हिंदू जीवनपद्धतीशी निगडीत असणारे गुढीपाडवा, वटपोर्णिमा, नागपंचमी, रक्षाबंधन, घटस्थापना, नवरात्र, विजयादिशमी, दिवाळी, तुळशीचे लग्न, मकरसंक्राती, होळी, रंगपंचमी इत्यादी सण कशाप्रकारे साजरा करता या प्रश्नाची ४३९ (९८%) उत्तरदाते शिवधर्मानुसार साजरे करतात व ०९ (०२%) उत्तरदाते परंपरागत पद्धतीने साजरा करतात. कारण शिवधर्म विचारसरणीचा स्वीकार करून त्यांचा एक वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी झाला नाही. वरील सारणीतील प्रतिसादाच्या वारंवारितेवरून शिवधर्म चळवळीमध्ये सण—उत्सव साजरा करण्याच्या पद्धतीत बदल झालेला दिसून येतो.

निष्कर्ष :

शिवधर्म विचारसरणीला मानणाऱ्या समूहामध्ये संगठन निर्माण करण्यासाठी, मनोरंजन करण्यासाठी, एकता व कलेचे प्रदर्शन करणे इत्यादी उद्देशाने प्रेरित होऊन गुढीपाडवा, वटपोर्णिमा, पोळा, नागपंचमी, रक्षाबंधन, दसरा, दिवाळी, तुळशीचे लग्न, मकरसंक्रात इत्यादी सण परंपरागत पद्धतीने न करता शिवधर्म गाथेत दिलेल्या नवीन पर्यायाचा उपयोग करून साजरे करतात. हे सण साजरे करण्यामागील परंपरागत आख्यायिकेत बदल झालेला दिसून येतो. वरील सण साजरे करण्याच्या निमित्याने समाजाचे कल्याण करण्याऱ्या अनेक नवीन उपक्रमाचा स्वीकार केल्याचे आढळून आले. वटपोर्णिमेला झाडे लावणे अथवा झाडाचे संवर्धन करणे, नागपंचमी या सणाच्या दिवशी शेतकऱ्याना सापाचे महत्व सांगणारे व सर्प दंश झाल्यास प्रथमोपचार विषयावर मार्गदर्शनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करणे अशाप्रकारचे विधायक कार्य करतात. शिवधर्म प्रकटन चळवळीमुळे अनुयायामधील परंपरागत पद्धतीने सण साजरे करण्यामागील अंधश्रद्धा नाहिशी झालेली दिसून येते.

संदर्भ ग्रंथ

- १) शिवधर्म संसद, २०१५, शिवधर्म गाथा, सिंदखेडराजा: शिवधर्म प्रकाशन पृ.क्र. १४०
- २) आगलावे डॉ. प्रदीप, २००७, सामाजिक संशोधन पद्धती, नागपूर: श्री साईनाथ प्रकाशन
- ३) आगलावे डॉ. प्रदीप, २०१२, समाजशास्त्र परिचय, नागपूर: साईनाथ प्रकाशन



- 4) साळुंखे, डॉ. आ.ह., २००५ बळीवंश, सातारा: लोकायत प्रकाशन
मासिके आणि वर्तमानपत्र
१) मराठा
२) Sociological Bulletin
३) लोकसत्ता

Website: <http://shodhganga.inflibnet.ac.in>



Review of e-HRM research and its implications

Dr. Kapil Raut
Assistant Professor
Punjabrao deshmukh night College, Nagpur

Abstract:

The existing empirical research on virtual human resource management (e-HRM) is reviewed in this article, along with some research implications. The review analyses the applied theories, the applied empirical methodologies, the selected various levels of analysis, the researched themes, and the disclosed findings on the basis of a definition and an introductory framework. The review shows a preliminary corpus of work from different fields that is primarily non-theoretical, uses a variety of empirical techniques, refers to a number of levels of analysis, and has a variety of e-HRM primary subjects. Some preliminary theoretical, methodological, and topical implications based on the review are given in order to promote a future e-HRM research programme.

Introduction:

Digital Human Resource Management (e-HRM) has become more widely used as a result of the Internet's explosive growth over the past ten years. According to surveys by HR consultants, e-HRM use by organizations and the breadth of its applications within those organizations are both steadily rising (CedarCrestone, 2005, for example). Additionally, a growing number of practitioner stories offer anecdotal proof that e-HRM is spreading and could result in notable improvements (e.g. Anonymous, 2001).

As a result, e-HRM has garnered more academic interest, as shown by several special issues of journals devoted to HR (Stanton and Covert, 2004, Townsend and Bennett, 2003, Viswesvaran, 2003). There is a preliminary corpus of empirical research on e-HRM in the interim. The findings of these studies are still not obvious, though, because they come from several fields, are dispersed throughout many journals, and are not fully covered by first reviews (Anderson, 2003; Lievens and Harris; Welsh et al.; 2003).

In order to better comprehend e-HRM, this paper will present a review of the relevant literature and point out how it has implications for future study. Research in related areas, particularly in virtual teams (Hertel, Geister, & Konrad, 2005) and e-leadership (Avolio, Kahai, & Dodge, 2000), is not taken into consideration because it is outside the purview of this work.



An initial framework for organizing e-HRM-related subjects is provided after providing a description of e-HRM and briefly exploring related ideas. The most recent empirical research is then reviewed. The review specifically examines the theories used, the empirical techniques used, selected degrees of analysis, explored themes, and decided findings. In order to promote a future research programme in e-HRM, some preliminary theoretical, methodological, and practical implications are explored based on the review.

Definition:

Although the term "e-HRM" is used frequently today¹, there aren't many formal definitions. The few discernible definitions (Lengnick-Hall and Moritz, 2003; Rul et al., 2004) emphasise the Internet-supported implementation of HR policies and/or activities and are quite wide in nature.

Identification of studies:

We utilized a scholarly web search tool (scholar.google.com) and a few data bases (ABI/Inform, Business Source Premier, and INFODATA) that cover all top journals in the fields of information systems, the recently emerging discipline of e-business, as well as industrial and organizational psychology in order to find empirical studies with e-HRM as the primary focus. Along with the key phrase e-HRM, we used a total of 47 search terms.

Implications for research:

Empirical research should identify the major research subjects, establish workable theoretical frameworks to frame these themes, gather relevant data, and translate the findings into practical suggestions for practitioners in order to meet the problems of e-HRM (Stanton & Covert, 2004). The section that follows aims to build on these needs by examining some preliminary implications relating to significant theoretical viewpoints, methodological methodologies, and levels of analysis, as well as subjects of a human resource.

Conclusion:

This report sought to review recent e-HRM studies and derive implications for new strategies. It was feasible to discover and compile multiple empirical studies from various fields using an



acronym and a first framework. The stated body of information concentrates on many main points and is now patchy without repeating any particular discoveries. However, it is necessary to acknowledge e-HRM as an original, significant, and long-lasting development in HRM.

References:

- B.J. Avolio, E-Leadership: Implications for theory, research, and practice *Leadership Quarterly*, (2000)
- P.D. Elgin, Attributes associated with the submission of electronic versus paper résumés, *Computers in Human Behavior*, (2004)
- I.O. Williamson, The effect of company recruitment web site orientation on individuals' perceptions of organizational attractiveness, *Journal of Vocational Behavior*, (2003)



माध्यमिक विद्यालयांमध्ये गणित अध्यापनात शिक्षकाची भूमिका

पंकज वामनराव मत्ते

सहाय्यक शिक्षक

जनता विद्यालय सिटी ब्रॅंच बल्लारपूर जिल्हा चंद्रपूर

मो. 9921312562

गणित विषयाचे शालेय स्तरावरील महत्त्व

गणित हा विषय व्यावहारिक व शैक्षणिक या दोन्ही दृष्टीनांमध्ये आहे. गणिताचा मानवी व्यक्तीचा जीवन सुरुवातीपासून अखरपर्यंत कळत नकळत गणिताना खालीला आहे. जीवनाचे सर्व व्यवहार तर गणिताना समाप्त होतात. त्यामुळे मानवी जीवनात असणाऱ्या या महत्त्वाच्या स्थानामुळे गणिताला शालेयात अभ्यासक्रमात महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाली आहे. क्योंकी सर्वांगीण विकास हा शिक्षनाचे उद्देश्य आहे. शारीरिक, मानसिक व नैतिक या दृष्टीनांमध्ये विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यात आवश्यक आहे. विषयाचा ज्ञान, शिक्षणाचे उद्देश्य साध्य करण्याचे एक साधन आहे.

गणित एक निश्चित असावास्त्र आहे. त्यात निश्चित नियमांचा अनुभव प्रत्यक्ष सर्वांना कळाही, कोठासी, कोणत्याही परिस्थितीत घसी यसी, सत्तद्वारेशन घडविणारा गणितासारखे बिनचूक शास्त्र नाही. स्थळ, काळ व परिस्थिती यांच्या बंधनांनी गणिताच्या नियमांना बाधा यसीनाही. गणित हा ग्रिपवाद शास्त्र असल्याची स्वतः खात्री करून पडताळा घसी यसी व्यापक व सार्वत्रिक असामान्य नियमांच्या सत्याबद्दल मुलांना निश्चित आदर वाटतो. त्यामुळे गणिताचा परिचितपणा महत्त्वाचा असतो. प्रत्यक्षीच्या रोजच्या जीवनातील व अनुभवांच्या आवाक्यातील असा हा विषय आहे. गणिताची उभारणी वास्तवतच्या भरभक्कम पायावर झाली आहे. त्यातून सत्याचारेशन घडविणाऱ्या गणित अध्ययनाचा महत्त्वाचा उद्देश्य आहे. बुद्धीचा विकास घडवून आणण्यासाठी उपयोगी असा विषय आहे. गणिताच्या अध्ययनाना विचाराला चालना दृष्टीसे बुद्धीचा विकास घडवून आणता यसी त्याकरता चिकाटी, नीटनक्कपणा, कल्पकता, शोधक बुद्धी, विचारांचा नस्किपणा इत्यादी विकल्प नियमाचा ज्ञालन गणिताच्या अध्ययनाना प्राप्त होऊ शकते. आत्मविश्वासामुळे स्थिर होऊन व्यक्तिमत्व पूर्ण विकसित होऊन संतुलित बनण्यास मदत होते. शिक्षकाला गणित विषयाचे स्वरूप माहीत असणारा जस्ती आहे. त्रिल विवद्यावरून गणित विषयाचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात यसी.

गणित विषयाच्या व्याख्या



गणित विषय सर्व अभ्यासक्रम शाखेची पाया आहे. गणिताच्या अध्ययनामुळे विचार व तर्क करण्याचा दोन शक्तीचा विकास होतो.

Aoger Bacan Mathematics is the gate and key at all sciences.

गणित अध्यापनात शिक्षकाची भूमिका

अध्ययन व अध्यापन प्रक्रियमध्ये शिक्षकांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. शिक्षण क्षमतमध्ये अध्ययन व अध्यापन प्रक्रियमध्ये शिक्षक हा अत्यंत महत्वपूर्ण दुवा ठरतो. शिक्षकाला व्यवस्थापक, अध्ययन व अध्यापन प्रक्रियमध्ये सुलभता आणणारा नसती आणि विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून तसेही डिविण्यासाठी प्रयत्न करणारा मार्गदर्शक अशा विविध भूमिका पार पाडाव्या लागतात. गणिताच्या शिक्षकास आपल्या विषय ज्ञानाची सर्वांगीण माहिती हवी. यामध्ये शिक्षकान क्विक्ल शासकीय पाठ्यपुस्तकातील गणित विषय समजून घ्यावा एवढीच अपेक्षा पुरेही नाही. गणित हा विषय पायऱ्या पायऱ्यांनी प्रगत होणारा असल्यानंतरीतो सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी परिचित असल्यानंतरीत गणित ज्ञानाच्या जोडीलाच त्याच्या व्यवहारांमधील उपयोजनाची चांगली माहिती असण अत्यावश्यक आहे. गणिताच्या प्रत्येक शिक्षकान ज्ञानाबोरोबरच तज्ज्ञान कोणत्या संस्कारांनी किंवा अनुभूतीच्याद्वारा विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायची व त्यांच्यात अपेक्षित बदल कसा घडवून आणावयाचा या अध्यापन तंत्राचाही अभ्यास करून ती तंत्र प्रत्यक्ष कार्यवाहीत आणलेल्या हिजड्या विद्यार्थ्यांना आपण शिकवितो त्या विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक क्षमतेबोरोबरच त्यांची मानसिक वाढ आणि भावनिक अपेक्षा यांची जाण शिक्षकान क्विक्ली पाहिजे. विद्यार्थ्यांना गणितातील संबोध आणि विविध प्रक्रियांचे अध्यापन करताना शिक्षकान विद्यार्थ्यांच्या पातळीपर्यंत खाली आलेल्या हिजड्यार्थी अनेक भाग नव्यानंतरी शिकत असतात. त्यांची ग्रहण शक्ती समान नसत त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी वारंवार शंका विचारल्या किंवा उदाहरण सोही विद्यार्थींना चुका कल्या तरी शिक्षकान त्या शांतपण विचारात घण्यार्जवृत्तांताह मुख्य शिक्षणपद्धती शिक्षक केंद्रित नसून विद्यार्थी केंद्रित आहेत. गोष्ट शिक्षकांनी सतत लक्षात ठेवली पाहिजे तसेही अध्यापनाची उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता सुयोग्य अनुभूती विद्यार्थ्यांना दण्डावश्यक आहे. आपण ज्या अनुभूतीचा अविष्कार विद्यार्थ्यांपुढे करणार आहोत त्यासाठी त्यांची मानसिक व बौद्धिक कुवत त्यांचा गणित विषयाकडे असलेली कल लक्षात घण्यावश्यक आहे.

गणित शिक्षकाने खालील महत्वाच्या बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.



- 1) बुद्धिमान, साधारण व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासला**विद्यार्थी हिन्ही स्तर लक्षात पद्धति गणिताचा अध्यापन कला** पाहिजा
- 2) गणित विषय सर्वांनाच कठीण वाटत असल्यामुळे**सोपा करण्यास मदत करणा**
- 3) कठीण संबोध स्पष्ट करण्यासाठी अध्यापन साहित्य, नवीन अध्यापन पद्धती यांचा वापर करण्याकडे**क्त्रिल असला पाहिजा**
- 4) विद्यार्थ्यांची गणितातील संपादनता वाढविण्यासाठी विविध आधुनिक अध्ययन पद्धती, सामूहिक कार्य, वारंवार मूल्यमापन व बक्षिस~~यो~~चा उपयोग करणा

आजच्या शिक्षण पद्धतीत जर गणित शिक्षकांची भूमिका वरील प्रमाण~~ग्रहली~~ तर विद्यार्थ्यांची गणिताची भीती घालवून त्यांच्यात या विषयाची गोडी निर्माण करणा**गणिताचा निकाल सुधारणा** जास्तीत जास्त विद्यार्थी त्यात उत्तीर्ण होणा**आ** सर्व बाबी शिक्षक चांगल्या प्रकार~~साध्य~~ करू शकला. विद्यार्थ्यांच्या चौकसवृत्तीला, कृतिशीलता**व** विचारक्षमता**वाव** मिळून ह~~गुण~~ वृद्धिंगत व्हाव~~म्हणून~~ शिक्षकांनी वर्गवर्ग~~प्रकल्प~~ कार्याचा, नवनवीन अध्ययन पद्धतीचा अध्यापनात वापर करणा**आवश्यक आहे** त्यामुळे**विद्यार्थी स्वयंअध्ययन** करून संपादित ज्ञानाचा**उपयोजन** करून कृती मधून शिकतील व अधिक ज्ञान प्राप्त करून ज्ञानाचा**स्फीत** निर्माण करतील.

संदर्भ सूची

- कुडल~~म्हा~~ बा. (1975) "शैक्षणिक तत्वज्ञान व शैक्षणिक समाजशास्त्र", श्री विद्या प्रकाशन पुणे
- जाधव, भोसल~~आ~~रती, सरपोतदार प्राची (2004), "माध्यमिक शिक्षण", फडक~~प्रकाशन~~ कोल्हापूर कुलकर्णी क~~म्हा~~री. "शैक्षणिक मानसशास्त्र", श्री. विद्या प्रकाशन पुणे
- भिंताड~~वी~~. रा. (1989), "शैक्षणिक संशोधन पद्धती", नूतन प्रकाशन पुणे
- आफळ~~गा~~. रा. बापट, भाव (1973) "शिक्षणाचा~~म्हा~~नसशास्त्रीय अधिष्ठान" श्री. विद्या प्रकाशन पुणे